वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

दिल्ली विकास
प्राधिकरण

दिल्ली की जीवन-शैली
को बेहतर बनाना...

माननीय उपराज्यपाल यमुना जैव–वैविध्य पार्क का दौरा करते हुए

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

fo"k; l|ph

fo"k; l|ph

1.	दिल्ली एवं दि.वि.प्रा.–दिल्ली का समृद्ध इतिहास एवं बेहतर भविष्य	2–3
2.	वर्ष की विशेषताएँ	4
3.	प्राधिकरण का प्रबंधन–तंत्र	5
4.	योजना, वास्तुकला और भूदृश्य विभाग	6–18
5.	अभियांत्रिकी और निर्माण कार्य–कलाप	19–21
6.	उद्यान–राजधानी को हरा–भरा बनाना	22
7.	भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग	23–25
8.	आवास विभाग	26
9.	प्रणाली विभाग	27–30
10.	खेल विभाग	31–34
11.	वित्त एवं लेखा विंग	35–38
12.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	39
13.	विधि विभाग	40
14.	सतर्कता विभाग	41–42
15.	नजारत शाखा	43–44
16.	कोटि आश्वासन कक्ष	45–46

चित्रगुप्त पार्क, रोहिणी

1 fnYyh ,oa fn-fo-izk-&
fnYyh dk le`) bfrgkl ,oa cgrj Hkfo";

पौराणिक कथाओं तथा आख्यानों का प्राचीन ऐतिहासिक शहर दिल्ली किसी समय बंजर भूमि थी, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी–इंद्रप्रस्थ के रुप में विकसित किया था। शताब्दियों से यह शहर अनेक साम्राज्यों के उत्थान–पतन का साक्षी रहा है और आज वैश्विक महानगर के रुप में खड़ा है। यह ऐसा शहर है जिसमें भूत और वर्तमान साथ–साथ परिलक्षित होते हैं। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के पास स्थित दिल्ली के स्मारक इसे अमर बनाए रखते है। दिल्ली को अनेक बार नष्ट किया गया और अनेक बार इसका पुनः निर्माण किया गया तथा इसके रुप को पुनः संवारा गया। इस तरह यह भारत के सर्वाधिक प्रमुख नगर के रुप में उभरा। दिल्ली के किले और पुरातात्विक स्थल इसके इतिहास के साक्षी हैं, जो दिल्ली को सम्मोहक और आकर्षक बनाते हैं।

कुतुबुद्दीन के राज्यारोहण से खिलजी वंश तक तथा तुगलक साम्राज्य से लेकर मुगलों के शासन काल तक दिल्ली ने भारतीय इतिहास में अनेक अध्याय जोड़े हैं। इस शहर पर सन् 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। जो प्रतिष्ठा दिल्ली ने उस समय अर्जित की थी, वह अब तक बनी हुई है क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र भारत की प्रसिद्ध राजधानी है। आरंभ में उत्तरी रिज को राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित था जिसे बाद में रायसीना हिल्स के आस–पास स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1912 में प्रख्यात नगर योजनाकार एडवर्ड लुटियंस और हरबर्ट बेकर ने नई दिल्ली शहर का नगर निगम नियोजन किया और इसे अद्वितीय विशेषता एवं भव्यता प्रदान की।

इस शहर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए पहले प्राधिकरण के रुप में वर्ष 1922 में दिल्ली कलेक्ट्रेट में एक छोटे से नजूल कार्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 10 से 12 कर्मचारी थे।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित प्रीत विहार स्थित हरित क्षेत्र

भवन निर्माण कार्यों तथा भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1937 में नजूल कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर सुधार न्यास कर दिया गया, जिसका गठन संयुक्त प्रांत सुधार अधिनियम 1911 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। वर्ष 1947 में, भारत के स्वतंत्र होते ही दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ, जिससे इसकी जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लख हो गई। परिणामतः शहरी आधारिक संरचनाओं की अत्यधिक कमी हो गई तथा नागरिक सेवाएं चरमराने लगीं। बड़ी संख्या में प्रवासियों को खुले स्थानों पर रहना पड़ा। इससे इस शहर के नियोजित विकास की नई दिशा तथा आवश्यकता के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

उस समय के दो स्थानीय निकाय–दिल्ली सुधार न्यास तथा नगर निकाय इस बदलते हुए परिदृश्य का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दिल्ली के तीव्र और अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सन् 1950 में जी.डी. बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक एकल नियोजन एवं नियंत्रक प्राधिकरण की अनुशंसा की। परिणामस्वरुप, योजना के अनुसार दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 (जिसका स्थान दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ने ले लिया) को प्रवर्तित करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण (डी.डी.पी.ए.) का गठन किया गया। तत्पश्चात् 27 दिसम्बर, 1957 को दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया और इसने दिल्ली जैसे शहर के नौवें निर्माता की ऐतिहासिक भूमिका निभाने का कार्य संभाला लिया।

दिल्ली एक कोरे कागज के समान थी, जिसे एक कुशल कलाकार के कौशल की आवश्यकता थी। दि.वि.प्रा. के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मुँह खोले खड़ी थी, जिनके समाधान के लिए पेशेवर कुशाग्र व्यक्तियों एवं दूरदर्शी योजना की आवश्यकता थी। इसके पश्चात दिल्ली के सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध विकास के लिए दि.वि.प्रा. ने वर्ष 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1962 में दिल्ली की मुख्य योजना बनाई। यह मुख्य योजना बाद में अन्य शहरों द्वारा अपनाएं जाने का मुख्य आधार तथा रुपरेखा का कार्य करने वाली बनी। इस मुख्य योजना की मुख्य विशेषताओं में ऐसी भूमि का निर्धारण करना था, जिसे व्यावसायिक उपयोगों के साथ–साथ परिसरों के लिए पर्याप्त स्थान तथा सहायक आधारिक संरचनाएँ उपलब्ध कराकर रिहायशी क्षेत्रों तथा सुविधाओं वाली कॉलोनियों के रुप में विकसित किया जा सके। इस मुख्य योजना में वर्ष 2001 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए तथा इस मुख्य योजना को वर्ष 1990 में स्वीकार किया गया। इस योजना में 2021 तक की अवधि के परिपेक्ष्य में सोच तथा नीति संबंधी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनेक संशोधन किए गए

और इस मुख्य योजना को, बदलते समय के अनुकूल बनाने के लिए, इसकी हर पांच वर्ष के अंतराल पर समीक्षा की जाती है और इसे तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने विश्व स्तर के नगर योजनाकारों की सहायता से दिल्ली को धीरे–धीरे एक वैश्विक महानगर बना दिया है। दि.वि.प्रा. ने अनेक महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जो आज भारत के शहरी विकास के मानकों के रुप में कार्य कर रही है। दि.वि.प्रा. ने क्षेत्रीय योजनाएं, कार्य क्षेत्र योजनाएं तथा शहरी विस्तार परियोजनाएं भी बनाई हैं। इसके कार्यक्षेत्र में आवासीय योजनाएं व्यावसायिक परिसर, कार्यालयी स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारिक संरचना, दिल्ली में विरासत स्थलों का निर्धारण एवं संरक्षण, खेल परिसर, खेल के मैदान गोल्फ कोर्स, पर्यावरण की सुरक्षा, हरित पट्टियों एवं वनों इत्यादि को संरक्षित रखना शामिल है। दि.वि.प्रा. के विचारपूर्ण प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रुप में पहचान मिली है। दि.वि.प्रा. के विचारपूर्ण प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रुप में पहचान मिली है। दि.वि.प्रा. ने 5050 हैक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया है जिसमें 4 क्षेत्रीय पार्क, 25 नगर वन, 111 जिला पार्क, 255 समीपवर्ती पार्क, 15 खेल परिसर, 3 लघु खेल परिसर, 2 गोल्फ कोर्स और 26 खेल के मैदान हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली बॉयोडाइवर्सिटी फाउंडेशन की स्थापना करके शहर के भावी प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और हरित क्षेत्रों विकास की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है और इसके साथ–साथ हरित पट्टियों को विकसित करके दिल्ली को मिलेनियम सिटी बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस फाउंटेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों की समृद्ध पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जैव वैविध्य विशेषता को संरक्षित रखना है। दि.वि.प्रा. जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्य जीवों के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानियों के दल की सहायता से अपनी तरह के पहले चार जैव–वैविध्य पार्क विकसित कर रहा है। दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने के लिए दि.वि.प्रा. ने शहरी आधारिक संरचनाओं के विकास संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त नागरिकों की परिवहन तथा प्रतिदिन की की यात्रा संबंधी समस्याओं का सामाधान करने के लिए अन्य कार्य भी किए हैं। दि.वि.प्रा. ने सड़कों, राजमार्गों और संबंधित आधारित संरचना की योजना बनाने और आवगमन बढ़ाने, भीड़ कम करने तथा सुगम यातायात बढ़ाने के लिए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना नियोजन और अभियांत्रिकी केन्द्र (यूटीपैक) का गठन किया है। दि.वि.प्रा. ने जन सेवाओं को बेहतर, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन–लाइन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया हैं। दि.वि.प्रा. की पहल तथा उपलब्धियों के सम्मिलित प्रयासों ने आज दिल्ली शहर को गतिमान, जीवंत वैश्विक शहर में परिवर्तित कर दिया है, जो अपने प्राचीन आकर्षण और समृद्ध इतिहास को बनाए रखते हुए बदलते हुए समय के साथ–साथ शहर एक परिवर्तनशील शहर के रुप में निरंतर विकसित हो रहा है।

jk"Vh; LokfHkeku [ky ifjlj] ihreijk

2 o"k dh fo'k"krk,¡

दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2016–17 के दौरान सुव्यवस्थित सुधार के लिए कुछ उपायों की शुरुआत की और कुछ नई पहल शुरु की, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं:–

(1) दिल्ली भवन निर्माण उपविधि–2016 में संशोधन किए गए।

(2) दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्रों में भवन निर्माण परमिट को ऑनलाइन मंजूरी।

(3) योजना जोनों के लिए सीवनहीन राजस्व बेस मैप को तैयार करना।

(4) यमुना नदी तट विकास परियोजना के लिए व्यापक प्लान तैयार करना।

(5) जैव–वैविध्य पार्कों जैसे अरावली, यमुना, नीला हौज, तिलपथ वैली और तुगलकाबाद जैव–वैविध्य पार्कों के विकास कार्यों को जारी रखना।

(6) यमुना नदी जीर्णोद्वार एकीकृत केन्द्र (पुनरुद्धार और सौन्दर्यीकरण) (यू.सी.आर.आर.वाई.) का जनादेश तैयार करने हेतु प्रलेखन और यू.सी.आर.आर.वाई. की अंतिम अधिसूचना।

(7) विभिन्न जोनों में प्रीफैब तकनीक के साथ 53,950 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन है जिसमें 51000 से ज्यादा एल.आई.जी. और ई.डब्ल्यू.एस./जनता आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं।

(8) 5 समाज सदनों का निर्माण पूरा कर लिया गया, 18 समाज सदन निर्माणाधीन हैं, 24 योजना चरण में है और 15 समाज सदन वैचारिक स्तर पर हैं।

(9) 3 व्यावसायिक केन्द्र/परिसर/जिला केन्द्रों का निर्माण किया गया और 6 निर्माणाधीन हैं।

(10) अतिक्रमण के विरुद्ध निरंतर निगरानी करके यमुना बाढ़ क्षेत्र में भूमि की सुरक्षा।

(11) दि.वि.प्रा. ने अपने परियोजना शीर्षक ''डिजिटल सेवाएँ–डिसीजन सपोर्ट एण्ड ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज (शिकायत निवारण सहित) सिस्टम (सी.एम.एस.) के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली'' द्वारा दि.वि.प्रा. के सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु एक एजेंसी का चयन करने के लिए आर.एफ.पी. का मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि ऑन लाइन डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जनता के कार्यों मे पारदर्शिता लाने के लिए आम जनता और कर्मचारियों को प्रभावी सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

(12) दि.वि.प्रा. के ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा मापन पुस्तिका को ऑन लाइन भरना जारी रखा गया और दिनांक 31.03.2017 तक 531 इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए ऑन लाइन मापन किए गए।

(13) दि.वि.प्रा. के वेबसाइट को विभिन्न ऑन लाइन एप्लीकेशन के साथ पुनः डिजाइन और अपडेट किया गया। वेबसाइट की सभी विषय सामग्री का हिन्दी अनुवाद भी किया जा रहा है।.

(14) आवेदकों द्वारा ऑन लाइन आवेदन विवरण प्रस्तुत करने और एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने के हेतु दि.वि.प्रा. आवासीय योजना, 2017 के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

(15) सांस्थानिक संपत्तियों का डाटा प्राप्त करने और सुधार के लिए एक वेब इनेबल्ड सॉफ्टवेयर ''इंटरेक्टिव डिस्पॉजल ऑफ लैंड मैनेजमेंट (आई.डी.एल.आई.) विकसित किया गया।''

jkfg.kh fLFkr Lo.k t;arh ikd

3 ikf/kdj.k dk ic/ku&rU=

3-1 fnYyh fodkl ikf/kdj.k ds lnL;

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–3 के अंतर्गत किया गया। यह एक निगमित निकाय है, जिसके पास संपत्ति अधिग्रहण करने, धारण और उसका निपटान करने की शक्ति है। श्री नजीब जंग दिनांक 9.07.2013 से 22.12.2016 तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, रहे। श्री अनिल बैजल, पूर्व केन्द्रीय ग्रह सचिव ने दिनांक 31.12.2016 को दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रुप में में पदभार ग्रहण किया। श्री अनिल बैजल के पास सचिव (शहरी विकास), भारत सरकार, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा., मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य कार्यों के अतिरिक्त प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार भी रहा है। श्री बैजल ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सलाहकार समूह (एन.ए.जी.), विद्युत, कोयला और अक्षय ऊर्जा एकीकृत विकास सलाहकार समूह और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति के सलाहकार होने के अलावा विचार मंच कार्यकारी परिषद और मल्टीपल कॉर्पोरेट बोर्ड में भी कार्य किया। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से हैः–

3-2 fnYyh fodkl ikf/kdj.k ds lnL;

Ø-l-	uke	vof/k
1.	श्री नजीब जंग, अध्यक्ष	01.04.2016 से 22.12.2016 तक
	श्री अनिल बैजल, अध्यक्ष	31.12.2016 से 31.03.2017 तक
2.	श्री अरुण गोयल, उपाध्यक्ष	01.04.2016 से 05.10.2016 तक
	श्री उदय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष	05.10.2016 से 31.03.2017 तक
3.	श्री महेश कुमार, अभियंता सदस्य	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
4.	श्री वेंकटेश मोहन, वित्त सदस्य	01.04.2016 से 11.11.2016 तक
	श्री संतोष कुमार, वित्त सदस्य (स्थानापन्न)	16.11.2016 से 31.03.2017 तक
5.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
6.	श्री बी.के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
7.	श्री विजेन्द्र गुप्ता	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
8.	श्री सोमनाथ भारती	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
9.	श्री एस.के. बग्गा	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
10.	श्री ओ. पी. शर्मा	01.04.2016 से 31.03.2017 तक
11.	श्री सतीश उपाध्याय	01.04.2016 से 31.12.2016 तक
	श्रीमती मीरा अग्रवाल	12.01.2017 से 31.03.2017 तक
12.	श्री हर्षदीप मल्होत्रा	09.09.2016 से 31.03.2017 तक

3-3 fnYyh fodkl ikf/kdj.k dh lykgdkj ifj"kn ds lnL;

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–5 के अंतर्गत गठित निकाय है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहाः–

v/;{k

श्री नजीब जंग : 01.04.2016 से 22.12.2016 तक

श्री अनिल बैजल : 31.12.2016 से 31.03.2017 तक

ykdlHkk ds lnL;

श्री रमेश बिधूड़ी : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

jkT; lHkk ds lnL;

श्री प्रभात झा : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

lnL;

श्री रमेश पण्डित : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

श्री मीर सिंह : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

श्री सुनील बजाज : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

श्री आर. के. कक्कड़ : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

श्री अशोक खुराना : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

अध्यक्ष, सीईए : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

महानिदेशक (रक्षा सम्पदा) रक्षा मंत्रालय : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

अपर निदेशक (जन.) (आरडी) : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

महाप्रबंधक (विकास), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि): 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

4 ;kstuk] okLrqdyk vkSj Hkw&n`'; foHkkx

4-1 ;kstuk foHkkx

4-1-1 eq[; ;kstuk vuqHkkx

दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए:

- रैन बसेरों, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों, अस्पतालों के कॉमन एरिया, व्यावसायिक केन्द्रों की ऊँचाई प्रतिबंध के लिए विकास नियंत्रक मानकों में संशोधन करना।
- बूचड़खानों/कसाईखानों, खतरनाक अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट की अनुमेयता
- पुनर्विकास के मामलें में आवासीय इकाइयाँ
- पालतू जानवरों हेतु कब्रिस्तान/श्मशान के लिए प्रावधान
- मिश्रित भूमि उपयोग प्रावधान
- सरकारी श्रेणियों के लिए एफ.ए.आर. और कवरेज में वृद्धि।

ifØ;k/khu la'kks/ku%

सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल करने, गैर–श्रृंखलाबद्ध क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के पुनर्विकास के संबंध में नीति के समावेश के लिए उद्योग पर अध्याय।

दिल्ली मुख्य योजना–2021 में संशोधन: 07 संशोधनों के लिए पाँच सार्वजनिक और भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सात सार्वजनिक सूचनाओं को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया।

- तकनीकी समिति की 8 बैठकों का आयोजन किया गया।
- रिपोर्ट के रुप में अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना–2021 में किए गए संशोधनों का संकलन और राजपत्रित अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं और तकनीकी समिति की बैठक के कार्यवृत्त को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर पोस्ट करना।
- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के साथ पत्राचार और योजना मामलों में संसदीय समिति की बैठकों के लिए समन्वय।
- शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों के लिए दरों, व्यावसायिक केन्द्रों में एफ.ए.आर. के संविभाजन से संबंधित नीतियों के लिए दि.वि.प्रा. की अन्य शाखाओं को योजना संबंधी तथ्य उपलब्ध कराना।
- एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड और डी.एम.आर.सी. से संबंधित कार्रवाई।
- सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा आधारिक संरचना योजना, एजेंसियों के साथ समन्वय।

4-1-2 yS.M iwfyax uhfr

- दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 'क' के अनुसार लैंड पूलिंग के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में संशोधन और दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत संचालन हेतु विनियमः शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ पत्राचार और इससे संबंधित अन्य कार्रवाई।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित जारी किया गया: दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रुप में 95 गांवों की घोषणा का प्रस्ताव, शहरी गांवों के रुप में 89 गांवों की घोषणा और लैंड पूलिंग क्षेत्र के लिए बेस मेप्स का प्रमाणीकरण शुरु किया गया।
- लैंड पूलिंग नीति के अनुसार विकास के लिए जोन पी–1 की अन–अधिग्रहित खाली पड़ी हुई 1805 हैक्टेयर (लगभग) भूमि को शामिल करना।
- लैंड पूलिंग कक्ष के कार्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंदर संरचना और जन शक्ति की आवश्यकता को अंतिम रुप देना।

4-1-3 ,dhÑr ;krk;kr vkSj ifjogu vk/kkfjr lajpuk ;kstuk vkSj vfHk;kf=dh dsUnz ¼;Vhihd½

- सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से यू.पी. बार्डर (भौंपुरा) तक मंगल पांडेय मार्ग के कॉरिडोर/ प्रभाव जोन के लिए इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलेपमेंट और स्ट्रीट नेटवक्र/कनेक्टिविटी प्लान तथा वैकल्पिक मार्ग/अनुषंगी (सहायक) नेटवर्क का सुधार।
- शहरी विस्तार सड़क – II (कंझावला रोड से एन.एच.–10 तक) का संरेखण प्लान।
- शहरी विस्तार सड़क – II के साथ लगे मीर विहार, भाग्य विहार के समीप सुरंग के निर्माण का संरेखण प्लान।
- होलंबी कलाँ, रेलवे लाइन पर पुल के नीचे सड़क (रोड अंडर ब्रिज)।
- बिजवासन – नजफगढ़ रोड (यू.ई.आर.–I) से उत्तरी परिधीय रोड (हरियाणा बॉर्डर) को जोड़ने वाली दो लेनों वाली बांध रोड।
- फेज– III मेट्रो स्टेशनों (20) के लिए मल्टी–मॉडल इंटीग्रेशन (एम.एम.आई) प्रस्ताव

4-1-4 Hkkxksfyd lwpuk iz.kkyh ¼thvkbZ-,l-½

- मेट्रो लाइन के दोनों ओर 500 मीटर के प्रभाव जोन को दर्शाने वाले ट्रांजिट ऑरिएटिड डेवलेपमेंट (टी.ओ.डी.) प्रभाव जोन का फेज III तक डी.एम.आर.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर सीमांकन किया गया।

योजना जोन के – I, पी–I, पी–II और एल के लिए सीवनहीन राजस्व बेस मेप तैयार करना। इसे लैंड पूलिंग ईकाई, योजना विभाग और ऑटो कैड फाइलों में मसावी/सज़रा के अनुसार जी.आई.एस. में पुनः ड्राफ्ट किया जा रहा है।

- विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी हुई भूमि की पहचान हेतु योजना जोन–जे के लिए जी.आई.एस. में राजस्व मानचित्रण (रेवेन्यू मैपिंग)।
- रोहिणी, द्वारका, नरेला और पूर्वी जोन की उप नगर परियोजनाओं के लिए दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि का मानचित्र भूमि उपयोग सहित जी.आई.एस.प्लेटफार्म पर तैयार कर दिया गया है।
- विभिन्न योजना जोनों में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों (इन प्वाइंट लोकेशन) का मानचित्र तैयार करना।

4-1-5 fnYyh e[; ;kstuk&2021 e l'kks/kuk dh dkjZokbZ djuk vkj fofHkUu ;kstuk bdkb;k }kjk y&vkmV Iyku rS;kj djukA

योजना जोन/ परियोजना	स्कीम/ लेआउट प्लान/ जाँच समिति द्वारा ले आउट प्लान में संशोधन	तकनीकी समिति द्वारा विचार किए गए प्रस्ताव	प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए प्रस्ताव	दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार अधिसूचित भूमि उपयोग परिवर्तन
क्षेत्र योजना–I				
ए और बी (चार दीवारी शहर, करोल बाग विस्तार)	2	3	1	1
सी (सिविल लाइन जोन)	2	2	3	1
जी (पश्चिमी दिल्ली)	4	2	-	4
एफ (दक्षिणी दिल्ली)	11	2	3	2
एच (पार्ट) (उत्तरी – पश्चिमी दिल्ली)	3	1	1	-
क्षेत्र योजना–II				
डी (नई दिल्ली)	-	6	8	7
ई (यमुना पार क्षेत्र)	-	6	8	7
जे (दक्षिणी दिल्ली – II)	3	-	1	-
रोहिणी परियोजना (जोन–एम ऑर एच पार्ट)	10	-	1	2
द्वारका परियोजना (जोन के – II)	6	-	-	4

vU; dk;Zokbl %&

(i) दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार जोन 'डी' (लुटियंस बंगला जोन को छोड़कर) की ड्राफ्ट क्षेत्रीय विकास योजना बनायी थी और जनता से 45 दिनों की अवधि के अंदर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 15.03.2017 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

(ii) भूमि विभाग द्वारा अपलोड की गई सूची के अनुसार दि.वि. प्रा. की खाली पड़ी ऐसी भूमि से संबंधित कार्रवाई जहाँ दि. वि.प्रा. द्वारा पहुंच मार्ग और सेवाओं का विस्तार किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

(iii) भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए 'नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013' की धारा 24(2) के अंतर्गत रद्द घोषित भूमि के पुनः अधिग्रहण के संबंध में कार्रवाई की गई। मामलों की जाँच की गई और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संकलित रिपोर्ट संबंधित मुख्य अभियंताओं को अग्रेषित की गई।

(iv) 1639 अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित निरीक्षण कार्य दिल्ली सरकार द्वारा नियमन के लिए प्रस्तुत किया गया।

(v) अनधिकृत कॉलोनियों में आने वाली दि.वि.प्रा. की भूमि की पहचान और निरीक्षण। जनसंख्या, श्रेणी, क्षेत्र इत्यादि जैसे विभिन्न पैरामीटरों का डाटा संकलन।

(vi) उच्च सघनता मिश्रित उपयोग विकास के रुप में नरेला, द्वारका और रोहिणी परियोजनाओं में खाली पड़ी हुई भूमि की योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आर.एफ.पी. तैयार करने के लिए जानकारी।

4-1-6 Hkou vuHkkx

(i) दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि, 2016 (यू.बी.बी.एल.) में संशोधन करने की कार्रवाई करना।

(ii) दि.वि.प्रा. विकास क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुमति को ऑन लाइन अनुमोदन प्रदान करना।

(iii) स्थानीय निकायों द्वारा भवन निर्माण अनुमति की मॉनीटरिंग और यू.बी.बी.एल. 2016 और जन शिकायतों से संबंधित मामलों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

Ø-l-	dk;Zdyki	
1.	dk;&lekiu iek.k&i= tkjh djuk 31.03.2016 को कुल आवेदन–पत्र	61
	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए आवेदन पत्र	26
	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए कार्य समापन प्रमाण–पत्र	50
	31.03.2017 को लंबित आवेदन–पत्र	37
2.	lLohÑr fd, x, Hkou uD'k	
	31.03.2016 को कुल आवेदन पत्र	150
	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन–पत्र	169

	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृत भवन नक्शे	124
	31.03.2017 को लंबित आवेदन पत्र	195
3.	tkjh fd, x, ch&1 Qkel	
	31.03.2016 को कुल आवेदन पत्र	20
	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन–पत्र	04
	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए बी–1 फार्म	05
	31.03.2017 को लंबित आवेदन पत्र	19

4-1-7 lo{k.k bdkbZ

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों हेतु भूमि की पहचान और आबंटन तथा संबंधित कानूनी मामलों से संबंधित योजना कार्रवाई हेतु समन्वय।
- एन.जी.टी. के आदेशों के संदर्भ में वाहनों की डंपिंग हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा पहचान की गई भूमि के लिए स्थिति रिपोर्ट।
- योजना इकाइयों द्वारा स्कीमों को तैयार करने के लिए भूमि का वास्तविक सर्वेक्षण।

4-2 okLrqdyk foHkkx ¼,p-;w-ih-MCY;w½

वास्तुकला विभाग परियोजना स्कीम की संरचनात्मक भूमि उपयोग योजना का प्रयोग उसके संकल्पनात्मक वास्तुकला डिजाइन और वास्तुकला संकल्पना की कार्यशील ड्राइंग तैयार करने के लिए करता है। वास्तुकला विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

1. शहरी डिजाइन/वास्तुकलात्मक स्कीमों (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार सभी श्रेणियों के आवास, श्रृंखलाबद्ध, गैर–श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र) को विकसित करना और उनके विकास नियंत्रण मानदंडों को तैयार करना।
2. विरासत और संरक्षण परियोजनाओं को शुरु करना और तैयार करना।
3. खेलकूद संबंधी परियोजनाओं (खेल परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करना)
4. सामाजिक आधारिक संरचना परियोजनाएं (सामुदायिक सुविधाएं, उन्नयन (अपग्रेडेशन) योजनाएं आदि)।
5. योजना, वास्तुकला और भू–दृश्य विभागों की सभी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जांच–समिति की बैठकों का आयोजन एवं समन्वय करना।
6. निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त करना:
   - शहरी डिजाइन/वास्तुकला स्कीमों के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से।
   - सभी विरासत/संरक्षण संबंधी परियोजनाओं के लिए दिल्ली शहरी विरासत प्रतिष्ठान (डी.यू.एच.एफ.) से।
   - अन्य प्राधिकरणों जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विमानपत्तन प्राधिकरण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से।

चूंकि सभी वास्तुकलात्मक कार्य डिजाइन से संबंधित हैं इसलिए प्रत्येक पृथक परियोजना को कोडल प्रावधानों के अनुसार स्थानीय एजेंसियों से अनुमोदन के विभिन्न चरणों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। वास्तुकला विभाग विभिन्न अन्य विभागों के समन्वय से आवास, सार्वजनिक क्षेत्रों, सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के लिए विभिन्न नीति बनाने में भी शामिल है। वास्तुकला विभाग पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति) अथवा डिजाइन और निर्माण पद्धति के अंतर्गत विकासकर्ताओं द्वारा तैयारी किए गए प्रस्तावों की संवीक्षा भी करता है। दि.वि..प्रा. ने ऐसी विभिन्न विरासत संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत भी की है, जो दिल्ली शहरी विरासत, प्रतिष्ठान के तत्वावधान में चल रही हैं। ये परियोजनाएं ग्लोबल लैंडस्केप डिजाइन कंपीटिशन फॉर अर्बन पार्क "भारत वंदना" प्रांगण, ऐतिहासिक हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी, सुंदर नर्सरी महरौली पुरातात्विक पार्क, सुल्तान गढ़ी पुरातात्विक पार्क, अरावली जैव–वैविध्य पार्क और सैंट जेम्स चर्च, कश्मीरी गेट हैं।

हमारी विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निम्न प्रकार हैं:–

,p-;w-ih-MCY;w- [ksy bdkbZ dh ifj;kstuk,¡

Ø-la-	ifj;kstuk dk uke	fLFkfr
fuekZ.kk/khu Lrj ij ifj;kstuk,¡		
1.	भलस्वा गोल्फ कोर्स में केफेटेरिया बिल्डिंग	• भवन निर्माणाधीन है। • इंजीनियरिंग विंग को जारी की गई वर्किंग ड्राइंगें और विवरण। • अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो गई है।
2.	सुविधा भवन, कुतुब गोल्फ कोर्स	• भवन निर्माणाधीन है। • अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो गई है।
;kstuk@vuqeksnu@fufonk@ofdZx Mªkbx Lrj ij ifj;kstuk,¡		
3.	खेल परिसर, सेक्टर–17, द्वारका	• छानबीन समिति से अनुमोदित। • ड्राइंगें प्रमाणित की गयी। • संरचना, व्यवहार्यता, सेवाओं और अग्निशमन से अनापत्ति इनपुट के लिए प्रमाणित ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को भेजी गई। • इंजीनियरिंग विंग से अग्निशमन अनापत्ति के लिए अपेक्षित सभी इनपुट्स की प्राप्ति पर ड्राइंगों को अनुमोदन के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सी.एफ.ओ.) के पास भेजा जाएगा। • वर्किंग ड्राइंगों को तैयार करने का काम शुरु किया गया।

4.	ए 7 नरेला खेल परिसर, नरेला	• प्रमाणित ड्राइंगों को संरचना व्यवहार्यता, सेवाओं और अग्निशमन अनापत्ति जानकारी के लिए इंजीनियरिंग विभाग के पास भेजा गया। • इंजीनियरिंग विंग से अग्निशमन अनापत्ति के लिए अपेक्षित सभी जानकारी की प्राप्ति पर ड्राइंगों को अनुमोदन के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पास भेजा जाएगा। • व्यवहार्यता और संरचना की प्राप्ति पर वर्किंग ड्राइंगों का काम शुरु किया जाएगा।
5.	खेल परिसर, सैक्टर – 23, अब सैक्टर 33, रोहिणी	• छानबीन समिति से अनुमोदित। • संरचना प्रमाणित ड्राइंग। • प्रमाणित ड्राइंगों को व्यवहार्यता और सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग विभाग के पास भेजा गया। • व्यवहार्यता और संरचना की प्राप्ति पर वर्किंग ड्राइंगों का काम शुरु होगा। • अग्निशमन जानकारी के लिए ड्राइंगों/सी.एफ.ओ. प्रॉफोर्मा को इंजीनियरिंग विभाग के पास भेजा जाएगा।
6.	खेल परिसर, सैक्टर – 8, द्वारका	• प्रमाणित ड्राइंगों को व्यवहार्यता और सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग विभाग के पास भेजा गया। • व्यवहार्यता और संरचना की प्राप्ति पर वर्किंग ड्राइंगों का काम शुरु होगा। • अग्निशमन जानकारी के लिए ड्राइंगों/सी.एफ.ओ. प्रॉफोर्मा को इंजीनियरिंग विभाग के पास भेजा जाएगा।
'k# dh tkus okyh ifj;kstuk,		
7.	नेताजी सुभाष खेल परिसर, जसौला	• इंडोर बैडमिंटन हॉल और स्वीमिंग पूल के उन्नयन का प्रस्ताव छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
8.	सीरीफोर्ट खेल परिसर	• छानबीन समिति के समक्ष ओपन एअर हेल्थ फूड आउटलेट/कियोस्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा

,p-;w-ih-MCY;w- jktLo.kh tku dh ifj;kstuk,

Ø-l-	ifj;kstuk	fLFkfr
1.	सीएस/ओसीएफ–1, सैक्टर–13 रोहिणी में सुविधा बाजार केन्द्र	छानबीन समिति बैठक (एस.सी.एम.) में अनुमोदित। ड्राइंगें व्यावसायिक भूमि शाखा मे भेजी जाएंगी।
2.	सीएस/ओसीएफ–5, सैक्टर–13, रोहिणी में सुविधा बाजार केन्द्र	छानबीन समिति की बैठक में अनुमोदित। ड्राइंगें व्यावसायिक भूमि शाखा मे भेजी जाएंगी।
3.	सीएस/ओसीएफ–6, सैक्टर–13, रोहिणी में सुविधा बाजार केन्द्र	छानबीन समिति की बैठक में अनुमोदित। ड्राइंगें व्यावसायिक भूमि शाखा मे भेजी जाएंगी।
4.	सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–15, रोहिणी	सभी प्लॉटों के लिए नियंत्रकों को निपटान हेतु व्यावसायिक भूमि शाखा में भेजा गया था।
5.	सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–16, रोहिणी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमोदित, नियंत्रक ड्राइंगें तैयार कर ली गई हैं। प्लॉटों के विवरण को निपटान के लिए व्यावसायिक भूमि शाखा में भेजा जाएगा।
6.	सेंट, जेवियर्स स्कूल, सैक्टर–26, रोहिणी के निकट जीएच–I स्थित खाली पॉकेट में बहुमंजिले आवास	अनुमोदित ड्राइंगों को इंजीनियरिंग विंग में भेजा गया। इंजीनियरिंग विंग द्वारा डिजाइन के आधार पर कार्य शुरु किया जाएगा और निर्माण मॉडल तैयार किया जाएगा।
7.	स्थानीय बाजार केन्द्र, सैक्टर–22, रोहिणी	दिनांक 16.11.2016 को आयोजित 344वीं एस.सी.एम. में मद संख्या 117 : 2016 द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई। ड्राइंगें इंजीनियरिंग विंग को भेज दी गई।
8.	सैक्टर–29 रोहिणी फेज–IV में समूह आवास पॉकेट जी एच–2	दिनांक 09.12.2016 को आयोजित 345वीं एस.सी.एम. में मद संख्या 131 : 2016 द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई। ड्राइंगें इंजीनियरिंग विंग को भेज दी गई।
9.	सैक्टर–11 (एक्सटेंशन) रोहिणी में समूह आवास	दिनांक 09.12.2016 को आयोजित 345वीं एस.सी.एम. में मद संख्या 130 : 2016 द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई। ड्राइंगें इंजीनियरिंग विंग को भेज दी गई।
10.	सैक्टर–29 रोहिणी में समूह आवास पॉकेट जी एच–3	दिनांक 09.12.2016 को आयोजित 345वीं एस.सी.एम. में मद संख्या 132 : 2016 द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई। ड्राइंगें इंजीनियरिंग विंग को भेज दी गई।
11.	सैक्टर–30 रोहिणी में समूह आवास पॉकेट जी एच–4	345वीं एस.सी.एम. में स्कीम को आस्थगित किया गया था। इसे एस.सी.एम. में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।
12.	पॉकेट बी–5 और बी 6, सैक्टर – 7, रोहिणी के बीच में स्थानीय बाजार केन्द्र	347वीं एस.सी.एम. में स्कीम को अनुमोदित किया गया और प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाएगा।

13.	सैक्टर 28 रोहिणी में प्रस्तावित प्लॉटिड आवासीय पॉकेट सी–I, ब्लॉक सी और 30 मीटर चौड़ी सड़क के बीच व्यावसायिक प्लॉट	347वीं एस.सी.एम. में स्कीम को अनुमोदित किया गया और प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाएगा।
14.	सैक्टर 28 रोहिणी में प्रस्तावित प्लॉटिड आवासीय पॉकेट ए–3, ब्लॉक–ए, और 30 मीटर चौड़ी सड़क के बीच व्यावसायिक प्लॉट	347वीं एस.सी.एम. में स्कीम को अनुमोदित किया गया और प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाएगा।

,p-;‚-ih-MCY;‚- lkekftd lkLÑfrd dh ifj;kstuk,¡

Ø-l-	ifj;kstuk	izxfr
1.	सैक्टर–13, रोहिणी में सीएस/ओसीएफ में समाज सदन	सी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और वर्किंग ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं तथा संरचना संबंधी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	सैक्टर–8, रोहिणी में समाज सदन	एस.सी.एम. और सी.एफ.ओ. ने अनुमोदित कर दिया है, संशोधित संरचना संबंधी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। निवासियों की आपत्ति के कारण परियोजना रुक गई है।
3.	सीएस/ओसीएफआई, सैक्टर–19, रोहिणी में समाज सदन	सी.एफ.ओ. से जानकारी प्राप्त हो गई है। संरचना संबंधी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	डीए ब्लॉक शालीमार बाग में समाज सदन	339वीं एस.सी.एम. में प्रस्तुत किया गया (आस्थगित)।
5.	ब्लॉक एच, सैक्टर–15, रोहिणी में खाली पड़े हुए स्वास्थ्य केन्द्र की उप खंड योजना में समाज सदन	सी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। संरचना संबंधी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	सैक्टर 16, ब्लॉक–ई, फेज–II, रोहिणी में बहुउद्देशीय समाज सदन	सी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और संरचना का संशोधित प्लान प्राप्त हो गया है। वर्किंग ड्राइंग प्रक्रियाधीन है।
7.	जी–20 और जी–21, सैक्टर, 7 रोहिणी में बहुउद्देशीय समाज सदन	सी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त हो गया है , संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त हो गई है। वर्किंग ड्राइंग प्रक्रियाधीन है।
8.	सैक्टर–4 एक्सटेंशन, रोहिणी में समाज सदन	एस.सी.एम. में संशोधित स्कीम अनुमोदित की गई और संरचना संबंधी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
9.	समाज सदन, सैक्टर–3, द्वारका	निर्माणाधीन, विस्तृत ड्राइंगें उपलब्ध करा दी गई हैं।
10.	समाज सदन, सैक्टर–9, द्वारका	विवरण और ड्राइंगें उपलब्ध करा दी गई हैं।
11.	समाज सदन, सिंडिकेट एनक्लेव, डाबड़ी मोड़	एस.सी.एम. में स्कीम प्रस्तुत की जाएगी।
12.	समाज सदन, सैक्टर–2, द्वारका	संरचना और प्रारंभिक अनुमान के लिए ड्राइंगें जारी कर दी हैं।
13.	समाज सदन, सैक्टर–16 बी, द्वारका	संरचना ड्राइंगों के अनुसार संशोधन करने के लिए वर्किंग ड्राइंगें तैयार कर ली गई हैं।
14.	सर्वोदय विद्यालय, पश्चिम विहार के निकट समाज सदन	एस.सी.एम. से अनुमोदित और व्यवहार्यता के लिए इंजीनिरिंग विंग के पास भेजा गया।
15.	समाज सदन, बी जी – 6, पश्चिम विहार	विस्तृत वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं और इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
16.	समाज सदन, पोचनपुर गाँव	ड्राइंगें और विवरण इंजीनियरिंग विंग को जारी कर दिए गए।
17.	सामुदायिक कक्ष, एचएएफ पॉकेट–बी, सैक्टर–13, द्वारका	ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं। इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
18.	नारायणा विहार में सामुदायिक कक्ष का उन्नयन	सी.एफ.ओ. से प्रस्तुत, टिप्पणी/सुझाव प्राप्त हुए, व्यवहार्यता और सुझाव शामिल करने के लिए ड्राइंग को इंजीनियरिंग विंग में भेजा गया है।
19.	सामुदायिक कक्ष, सादनगर	कार्य निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
20.	512 एम.आई.जी. राजौरी गार्डन में सामुदायिक कक्ष	ड्राइंगें और विवरण जारी कर दिए गए हैं। इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
21.	कालकाजी में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
22.	हरकेश नगर में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
23	श्रीनिवासपुरी में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
24.	किशनगढ़ में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।

25.	गीता कॉलोनी में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
26.	विश्वास नगर में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
27.	हसनपुर में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
28.	प्रीत विहार में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
29.	ईस्ट ऑफ लोनी रोड में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
30.	वसुन्धरा एनक्लेव में समाज सदन	ड्राइंगें/एजेंडा एस.सी.एम. के लिए तैयार किया गया।
31.	जसोला पॉकेट–5 में समाज सदन	वर्किंग ड्राइंगें जारी की गईं। अन्य विवरणों के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
32.	शास्त्री पार्क में समाज सदन	अद्यतन ड्राइंगें तैयार की गईं और इंजीनियरिंग विंग को भेजी गई।

Ø-l-	ioh tku d v/khu ifj;ktuk,	fVIi.kh
1.	हारवर्ड स्कूल और शिव मंदिर, प्रीत विहार के बीच खाली पड़े प्लॉट पर आवास	345वीं एस.सी.एम में स्थल को अनुमोदन प्रदान किया गया ।
2.	ब्लाक–5 और 8 के बीच खिचडीपुर मे खाली पडे प्लाट संख्या 279 पर आवास	345वीं एस.सी.एम मे स्थल को अनुमोदन प्रदान किया गया।
3.	मंडावली फजलपुर में सरस्वती कुंज अपार्टमेंट में खाली स्थल पर आवास	345वीं एस.सी.एम मे स्थल को अनुमोदन प्रदान किया गया।
4.	1350 एल.आई.जी कोंडली घडौली के पीछे बहुमंजिले आवास	345वीं एस.सी.एम मे स्थल को अनुमोदन प्रदान किया गया।
5.	मयूर विहार, फेज–I पॉकेट–3 स्थित दि.वि.प्रा स्टाफ क्वाटरों मे पुनर्विकास	जनता के समक्ष सार्वजनिक किया गया।
6.	टी .ओ .डी कडकडडूमा हब	टी .ओ .डी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
7.	लेक व्यू अपार्टमेट	टी .ओ .डी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	बी जसोला –डिजाइन बिल्डिंग	इंजीनियरिंग विग के समन्वय से निर्माणाधीन
9.	बी –5 यमुना विहार मे सुविधा बाजार केंद्र	अग्निशमन विभाग से अनुमोदन कार्रवाई की जा रही है।
10.	ब्रहमपुरी मे सुविधा बाजार केंद्र	व्यवहार्यता के लिए भेजा गया और कार्य किया जाएगा।
11.	मल्टी लेवल पार्किंग लक्ष्मी नगर जिला केंद्र	अनुमोदन के लिए आगे बढाया जाएगा।

,p-;-ih-MCY; mÙkjh tku dh ifj;ktuk,
o"k 2016&17 d fy, ,dhd`r foLr`r ixfr fjikV%mÙkjh tku

vkokl		
d- l-	ifj;ktuk,	dh xb dkjokb
1.	मंगला पुरी स्थित दि.वि.प्रा परियोजना कार्यालय के पीछे सुविधा भवन सहित बहुमंजिले आवास एकीकृत परिसर (स्थल नं IV)	336वीं एस.सी.एम, सी.एफ.ओ, डी.यू.ए.सी में स्कीम अनुमोदित।
2.	जसोला 9 बी में आवास	सभी अनुमोदन प्राप्त हो गए है जांच कर ली गई है तथा संबंधित इंजीनियरिंग विंग को अतिम वर्किंग ड्राइंगें (जी.एफ.सी.) जारी की गईं।
3.	गाजीपुर नाले से सटे चिल्ला गाँव में 2 बी एच के आवास	एस.सी.एम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एम.पी.डी–2021, यू.बी.बी.एल–2016 और अन्य मानक मानदडों के संबध मे स्कीम की जांच कर ली गई है।
4.	सैक्टर 16 बी द्वारका मे 346/348 दो बेडरुम बहुमंजिले आवास	वर्किंग ड्राइंगें तैयार करने का काम शुरु कर दिया गया हैं।
5.	सैक्टर 19 बी द्वारका मे 352 दो बेडरुम बहुमजिले आवास	वर्किंग ड्राइंगें तैयार करने का काम शुरु कर दिया गया हैं।
6.	डी –6 वंसत कुंज के पीछे मेगा आवास	विकास योजना, दो स्तरीय पार्किंग योजना प्लाटिड आवास और बेसमेट योजना को वैचारिक स्तर पर तैयार किया गया।
7.	डी –6 वंसत कुंज के निकट आवास	व्यवहार्यता के लिए वैचारिक स्कीम तैयार किया गया।
8.	एस.आई.वी, एम.एच.ए को स्थल उपलब्ध करने के लिए संस्थानिक प्लॉट ओ.सी.एफ पॉकेट सरिता विहार पाकेट एम और एन के लेआउट प्लान में मामूली संशोधन	341वीं एस.सी.एम में स्कीम अनुमोदित की गई और आंबटन के लिए संस्थानिक भूमि शाखा के पास भेजी गई।

9.	14 कालका जी एक्सटेंशन में 3000 आवासीय इकाइयों की आवासीय स्व–स्थाने परियोजना	जी.एफ.सी ड्राइंगें जारी करने के लिए वास्तुकलात्मक वर्किंग ड्राइंगों का सूक्ष्म परीक्षण।
vkokl		
Ø-l	Ikfj;kstuk,¡	dh xbZ dkjZokbZ
1.	पॉकेट – 3, सैक्टर ए1–ए4, नरेला में 648 दो बैडरूम, 368 तीन बैडरूम और 384 ई.डब्ल्यू. एस. आवास।	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
2.	पॉकेट – 4, सैक्टर ए 1–ए 4, नरेला में 512 दो बैडरूम, 352 तीन बैडरूम और 352 ई.डब्ल्यू. एस. आवास।	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
3.	पॉकेट – 6, सैक्टर ए1–ए4, नरेला में 448 दो बैडरूम, 232 तीन बैडरूम और 256 ई.डब्ल्यू. एस. आवास।	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
4.	पॉकेट – 7, सैक्टर ए1–ए.– 4, नरेला में 328 दो बैडरूम, 192 तीन बैडरूम और 200 ई.डब्ल्यू. एस. आवास!	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
5.	पॉकेट – 9, सैक्टर ए1–ए.– 4, नरेला में 576 दो बैडरूम, 272 तीन बैडरूम और 320 ई.डब्ल्यू. एस. आवास!	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
6.	पॉकेट – 11, सैक्टर ए1–ए. – 4, नरेला में 1808 दो बैडरूम, 960 तीन बैडरूम और 1024 ई.डब्ल्यू. एस. आवास!	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदिता
7.	पॉकेट – 13, सैक्टर ए1–ए4, नरेला में 776 दो बी.एच.के., 352 तीन बी.एच.के और 424 ई.डब्ल्यू. एस. आवास!	स्कीम एस.सी.एम., सी.एफ.ओ. और डी.यू.ए.सी. से अनुमोदित
8.	पॉकेट – 14, सैक्टर ए1–ए.– 4, नरेला में 536 दो बी.एच.के., 272 तीन बी.एच.के और 296 ई.डब्ल्यू. एस. आवास!	स्कीम दिनांक 09.12.2016 को आयोजित 345वीं एस.सी.एम. में अनुमोदित
9.	स्लम निवासियों के स्व–स्थाने पुनर्वास के लिए जेलरवाला बाग, अशोक विहार में 1675 बहु–मंजिली आवासीय इकाइयाँ।	सशोधित स्कीम की जॉच की गई और इसको 344वीं एस.सी.एम. में अनुमोदित किया गया।
10.	मुखर्जी नगर में पहले से अनुमोदित एम.एस. आवासों में सामुदायिक सुविधाओं और टॉयलेट ब्लॉक का प्रावधान।	स्कीम दिनांक 08.08.2016 को आयोजित 342 वीं एस.सी.एम. में अनुमोदित और ड्राइंग अभियांत्रिकी शाखा को सेवाओं और संरचना संबंधित जानकारी के लिए भेज दिया गया है।
11.	आवासीय पॉकेट 8, सैक्टर ए1 से ए4 नरेला में समूह आवास	09.12.2016 को आयोजित 345 वीं. एस.सी.एम. में स्कीम अनुमोदित ।
12.	आवासीय पॉकेट – 10, सैक्टर ए1 से ए4, नरेला में समूह आवास।	09.12.2016 को आयोजित 345 वीं. एस.सी.एम. में स्कीम अनुमोदित।
13.	आवासीय पॉकेट – 12, सैक्टर ए1 से ए4, नरेला में समूह आवास।	09.12.2016 को आयोजित 345 वीं. एस.सी.एम. में स्कीम अनुमोदित।
iqufoZdkl		
14.	ओल्ड राजेन्द्र नगर में दि.वि.प्रा. स्टाफ क्वार्टर साइट का पुनर्विकास	स्कीम को 344 वीं. एस.सी.एम. में रखा गया और एस.सी.एम. के निर्णय के अनुसार स्कीम को पब्लिक डोमेन में रखा गया।
0;kolkf;d		
15.	व्यावसयिक प्लॉट (पूर्व में थोक बिक्री के प्लॉट), जिला केन्द्र, नेताजी सुभाष प्लेस	स्कीम एस.सी.एम. और डी.यू.ए.सी. में अनुमोदित।
16.	सरस्वती विहार, पीतमपुरा के सामने एल.एस.सी. आनंद विहार	स्कीम एस.सी.एम. में अनुमोदित।
17.	अनौपचारिक सैक्टर एवं सार्वजनिक सुविधओं के प्रावधान के लिए मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 में पेट्रोलियम ट्रेडर्स मार्किट	वर्किंग ड्राइंगें संबंधित अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।

,p-;w-ih-MCY;w }kjk tkus dh ifj;kstuk,¡

Ø-l	ifj;kstuk dk uke	fLFkfr
fuekZ.kk/khu Lrj ij ifj;kstuk,¡		
1.	सैक्टर 19–बी, द्वारका में आंतरिक विकास एवं विद्युतीकरण सहित एच.आई.जी. बहुमंजिले आवास	निर्माण स्थिति – ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई। यू.बी.बी. एल. – 2016 के अनुसार स्कीम को एस.सी.एम. में रखें जाने के लिए संशोधित किया जा रहा है
2.	पॉकेट–2, सैक्टर –16 बी द्वारका के साथ लगे हुए 346 – बहुमंजिलें दो शयनकक्ष वाले अपार्टमेंट का निर्माण	निर्माण स्थिति – बेसमेंट तक निर्माण कार्य लगभग पूर्ण ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।

3.	पॉकेट–3, सैक्टर –19 बी, द्वारका फेज –II के साथ लगे हुए 352 – बहुमंजिलें दो शमनकक्ष वाले अपार्टमेंट का निर्माण।	निर्माण स्थिति – एस.+4 तक का निर्माण लगभग पूरा हो गया है ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।
4.	पॉकेट–5, सैक्टर–14, द्वारका के सामने 1568 श्रेणी –II अवासीय इकाइयों (312 दो बी.एच.के. आवासीय इकाइयाँ 288 एक बी.एच.के. आवासीय इकाइयाँ) और 968 ई डब्ल्यू एस.एम.एस का निर्माण।	निर्माण स्थिति – ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।
5.	मंगलापुरी में 273 एकीकृत आवास	निर्माण स्थिति – ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।
;kstuk@vuqeksnu@fufonk@dk;Z'khy Mªkbx Lrj ij ifj;kstuk,		
6.	पॉकेट–ई, लोक नायक पुरम, बक्कर वाला में 821 बहुमंजिले, आवासों (600 दो शयनकक्ष एवं 221 ई.डब्ल्यू. एस. आवास) का निर्माण	डिजाइन और निर्माण परियोजना (एस.सी.एम. अनुमोदित) डी.यू.ए.सी. से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
7.	पॉकेट IV, सैक्टर–14, द्वारका में नए आवास	डिजाइन और निर्माण परियोजना स्कीम अनुमोदित हो चुकी है। टेंडर स्टेज पर।
8.	सैक्टर–14, द्वारका में वेगास मॉल एवं एम.आई.जी. फ्लैटस के बीच पॉकेट में नए आवास	डिजाइन और निर्माण परियोजना टेंडर स्टेज पर।
9.	सैक्टर–19 बी, द्वारका में एस.पी.एस. के सामने पॉकेट में नए आवास	स्कीम अनुमोदित टेंडर स्टेज पर।
10.	इंटीग्रेटिड ग्रीन सर्किट द्वारका की खाली भूमि जो अधिक कनेक्टिविटी एवं दि.वि.प्रा. के लिए परिसंपत्ति है। (टीडी–2)	सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के लिए वैचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। जानकारी एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु योजना विंग एवं भूदृश्य इकाई को ड्राइंगें जारी की गई स्कीम एस.सी.एम. में प्रस्तुत।
11.	द्वारका में दि.वि.प्रा. की खाली भूमि में नगर स्तरीय उच्च सघनता मिश्रित उपयोग आर्थिक/व्यावसायिक/आवासीय हब विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं से परामर्श।	आर. एफ.पी. प्रस्तुत किया गया। परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी।
12.	द्वारका में मेट्रो मार्ग सेतु की स्ट्रीटस्कैपिंग में अवधारणाएँ एवं अपनाए जाने वाले संकेतक (साइनिज) के लिए प्रस्ताव।	स्कीम एस.सी.एम. में अनुमोदित। अनुमान अभियंत्रिकी शाखा द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
'kq: dh tkus okyh ifj;kstuk,		
1.	पश्चिम विहार में जिला केन्द्र	एस.सी.एम. में प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	बसई दारापुर में आवासीय योजना	एस.सी.एम में प्रस्तुत की जाएगी।
3.	द्वारका एकीकृत हरित सर्किट, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी एवं दि. वि.प्रा. की परिसंपत्ति है। द्वारका की खाली पड़ी भूमि जो (टी डी–4 एवं 5, पालम नाला)	एस.सी.एम. में प्रस्तुत की जाएगी।

,p-;w-ih-MCY;w- ifj;kstuk, 'kgjh ikdZ ,oa Mh-;w-,p-,Q@lqj{k.k

'kgjh ikdZ		
Ø- la-	ifj;kstuk,	miyfC/;k@fLFkfr
1	रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ. आई)	''अंतर्राष्ट्रीय मानकों के थीम बेस्ड पार्कों'' को विकसित करने के लिए संकल्पना हेतु भूदृश्य वास्तुविदों/शहरी डिजाइनरों/परामर्शदात्री फर्मों से दिनांक 02.04.2016 को रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई। • 12 परामर्शदात्री फर्मों ने रूचि दिखाई। • परामर्शदाता भूदृश्य वास्तुविदों के साथ दिनांक 06.05.2016, 18.05. 2016 और 09.06.2016 को लगातार तीन (3) बैठकें आयोजित की गई।
2.	केस स्टडीज एवं पार्क प्रबंधन मॉडल्स	अंतर्राष्ट्रीय अवस्थितियों में शहरी पार्कों की केस स्टडी की नई पहल के भाग के रूप में निम्नलिखित पार्कों के लिए अनेक प्रस्तुतीकरण दिए गए। न्यूयार्क शहर का सैंट्रल पार्क, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट पार्क, शिकागो का मिलेनियम पार्क, हाइड पार्क, लंदन, गार्डन बाई द बे, सिंगापुर और अन्य पार्क।
		• प्रबंधन मॉडल्सः नेशनल पार्क बोर्ड सिंगापुर, सैंट्रल पार्क न्यूयार्क और अन्य।
3.	सुलतान गढ़ी के लिए डिजाइन बोर्ड	• हौजखास पार्क में यू.डी.एम. वीजिट के लिए अप्रैल 2016 में पैनल बोर्ड तैयार किया गया।

4.	विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.)	• कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा –8 के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी मिशन एण्ड डी.डी.ए. ग्रीनस' एक नॉट–फॉर–प्रोफिट कम्पनी के नाम से एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.) बनाने के लिए एजेंडा तैयार किया गया।
		• प्रस्तुतीकरण सहित एजेंडा प्राधिकरण की 10.08.2016 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया। एस. पी.वी. को भूदृश्य विभाग द्वारा देखा जा रहा है।
5.	हौज खास पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क के लिए व्याख्या केन्द्र	प्रस्तुतीकरण, ले आउट प्लान तैयार किया गया और अनुसंधान कार्य, श्रव्य दृश्य लिंक की छानबीन सरकारी संसाधनों से की गई। • नेशनल साइंस सेंटर जैसी एजेंसियों के साथ पत्राचार।
6.	शहरी पार्कों के लिए ब्रोशर तैयार करना	पार्क के संबंध में जन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हौज खास पार्क के लिए ब्रोशर तैयार किया गया।
7.	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के साथ बैठकों के लिए प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया।	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में इन शहरी पार्कों के विकास पर दिनांक 11.05.2016, 01.07.2016, 16.08.2016 को विभिन्न बैठकों में विचार–विमर्श किया गया।
8.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.)	दो ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए भूदृश्य/शहरी डिजाइन परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी बोलियों हेतु आर.एफ.पी. तैयार किया गया और विधि वित्तीय और तकनीकी जानकारी के लिए अग्रेषित किया गया। i) स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी में थीम बेस्ड पार्क। ii) आस्था कुंज, नेहरू प्लेस में थीम बेस्ड पार्क। • स्वर्ण जयंती पार्क, सैक्टर 10, रोहिणी के लिए ज्यूरी की बैठक 07.02. 2017 को आयोजित की गई जिसमें तीन परामर्शदाताओं ने अपने प्रस्तुतीकरण दिए। इनकों तकनीकी बोली मूल्यांकन के कारण अपात्र घोषित किया गया दोनों पार्कों के लिए प्रतियोगी बोलियों को रदद् कर दिया गया। • स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी के लिए आर.एफ.पी. 17.03.2017 को पुनः आमंत्रित किया गया और 24.04.2017 को प्रस्तुत किया गया। • आस्था कुंज, नेहरू प्लेस के लिए आर.एफ.पी. उचित समय पर आमंत्रित किया जाएगा।
9.	वैश्विक भूदृश्य डिजाइन प्रतियोगिता	xhu QhYM ifj;kstuk% • यह निर्णय लिया गया कि एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में भारत वन्दना प्रांगण – सैक्टर 20, द्वारका को प्रथम चरण पर शुरू किया जाए। • अभियंता सदस्य की अध्यक्षता में 11 बैठकें आयोजित की गई और आर. एफ.पी. एवं वैश्विक भूदृश्य डिजाइन प्रतियोगिता की प्रगति की मॉनीटरिंग साप्ताहिक आधार पर की गई।
		uksyst ikVZuj% नॉलेज पार्टनर की नियुक्ति के लिए दस्तावेज तैयार किया गया। Mkft;j वैश्विक भूदृश्य डिजाइन प्रतियोगिता का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया। T;wjh iSuy% 13 सदस्यीय ज्यूरी पैनल के लिए आंकड़े इकट्ठे करना। oclkbV MoyieSV% • कम्पीटीशन वेबसाइट के डेवलपमेंट हेतु दि.वि.प्रा. के प्रणाली विभाग के साथ मिलकर कार्य किया गया। • इंटरनेट वेबसाइट पर अनुसंधान कार्यः डिवेलपमेंट (प्रस्तुतीकरण तैयार करना) • माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में राज निवास में दिनांक 02.012.2016 को शहरी पार्क, सैक्टर 20 द्वारका के लिए वैश्विक भूदृश्य डिजाइन प्रतियोगिता पर iLrqrhdj.k। यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव दि.वि.प्रा. द्वारा विभागीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।

Mh-;w-,p-,Q@lqj{k.k		
Ø- l-	ifj;kstuk,a	miyfC/k;k@fLFkfr
1.	दिल्ली शहरी विरासत फाउंडेशन अधिसूचना में संशोधन	• डी.यू.एच.एफ. के विनियमों में संशोधन को दिनांक 10.08.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया। • परियोजना को दिनांक 20.01.2017 की डी.यू.एच.एफ. की बैठक में प्रस्तुत किया और इस पर शहरी विकास मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

2.	निजामुददीन बस्ती शहरी नवीकरण परियोजना	डी.यू.एच.एफ. की दिनांक 20.01.2017 को हुई बैठक में दो वर्ष की अवधि अर्थात 16 मई, 2018 तक समय अवधि बढ़ाने के शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। • परियोजना की अनंतिम समय सीमा ए.के.टी.सी. से प्राप्त की गई। • पुनः स्थापन के लिए 55 परिवारों की सूची में से 20 परिवारों की सूची ए.के.टी.सी. से प्राप्त हुई।
3.	इंद्रप्रस्थ पुरातात्विक पार्क को नाम देना	• परियोजना को दिनांक 10.08.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया।
		• मामले को 20.01.2017 को आयोजित हुई डी. यू. एच. एफ. की बैठक में रखा गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रेलवे कोच फैक्टरी और प्रस्तावित इंद्रप्रस्थ पुरातात्विक पार्क के अन्दर रेलवे की अन्य संपत्तियों को प्रस्तावित पुरातात्विक पार्क की सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। इसकी बाड़ लगाई जाए और इसको मार्गाधिकार भी दिया जाए। • डी.यू.एच.एफ. बैठक की टिप्पणी को प्राधिकरण की बैठक के एजेंडा में शामिल किया गया और आगे आयोजित होने वाली प्राधिकरण की बैठक में रखने हेतु अग्रेषित किया गया।
5.	एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी गेट के विरासत भवन का संरक्षण (चरण–IV कार्य) कार्य प्रगति पर है।	• चरण–IV के लिए पुनरूद्वार कार्य पूरा कर लिया गया है और विरासत परिसर के रखरखाव और विकास के लिए नीति बनाई जा रही है।
6.	डी.यू.एच.एफ. के सहयोजित सदस्य	• प्रत्येक फील्ड में दो नामों की एक सूची तैयार की गई और 09.03.2017 को मुख्य सचिव रा.रा.क्षे. दिल्ली को भेजी गई।
7.	पुरानी ऐतिहासिक हरदयाल म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक का नवीकरण और सुधार	• प्रस्ताव की जाँच की गई और प्रस्ताव को टिप्पणी सहित इंटेक को प्रस्तुत किया गया।
8.	सुन्दर नर्सरी में गार्डन हाउस	• के.लो.नि.वि. से प्राप्त किये गए गार्डन हाउस के प्रस्ताव को दिनांक 22.02.2017 की 347वीं जाँच समिति की बैठक में रखा गया।
9.	गुज्जर भवन	• गुलाब सिंह गुज्जर भवन, गढ़ी झरिया मारिया का संरक्षण एवं नवीकरण। • स्थल का दौरा किया गया और अभियांत्रिकी शाखा से टी.एस.एस. के लिए अनुरोध किया गया।
10.	सैंट जेम्स चर्च, कश्मीरी गेट	परियोजना की जाँच की गई और सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ भेजी गई।
11.	महरौली पुरातात्विक पार्क	महरौली पुरातात्विक पार्क की बाउंड्री वॉल से संबंधित परियोजना की स्थिति अभियांत्रिकी विभाग से ली गई। अतिक्रमण, मुकदमेबाजी वाले क्षेत्र का विवरण अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त किया गया है।
12.	सुलतान गढ़ी पुरातात्विक पार्क	सुलतान गढ़ी पुरातात्विक पार्क की बाउंड्री वॉल से संबंधित परियोजना की स्थिति अभियांत्रिकी विभाग से ली गई। अतिक्रमण मुकदमेबाजी वाले क्षेत्र का विवरण अभियंत्रिकी शाखा से प्राप्त किया गया है।
13.	अरावली जैव–वैविध्य पार्क	• केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर के विकास हेतु 25.01.2017 को स्थल का दौरा किया गया। • सीईसी द्वारा दिए गए सुझाव की टिप्पणियों को प्रस्ताव में शामिल किया गया और अभियांत्रिकी शाखा को आगे सीईसी में प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया।

,p-;-ih-MCY;- nf{k.k tku dh ifj;kstuk

Ø- l-	ifj;kstuk,a	miyfC/k;k@fLFkfr
1	डी–6, वसंत कुंज के साथ लगे हुए आवास	• स्कीम को डिजाइन एवं निर्माण आधार पर 09.12.2016 की 345वीं एस.सी.एम में अनुमोदित किया गया और निविदा दस्तावेज तैयार करने एवं परामर्शदाता /संविदाकार की नियुक्ति के लिए अभियांत्रिकी शाखा को भेजा गया।

2.	डी–7 / डी–8, वसंत कुंज के साथ लगे हुए आवास	• स्कीम को डिजाइन एवं निर्माण आधार पर 09.12.2016 की 345वीं एस.सी.एम. से अनुमोदित किया गया और निविदा दस्तावेज तैयार करने और परामर्शदाता / संविदाकार की नियुक्ति के लिए अभियांत्रिकी शाखा को भेजा गया।
3.	ए–14, कालका जी एक्सटेंशन में स्व–स्थाने परियोजना	• सभी वास्तुकलात्मक ड्राइंग जारी की गई। • परियोजना इंजी. विभाग के साथ समन्वय करके निर्माणाधीन है।
4.	सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में स्टाफ क्वार्टरों का पुनः विकास	• अभियांत्रिकी शाखा से टी.एस.एस. प्राप्त किया गया। • स्कीम तैयार की जा रही है और एस सी एम के अनुमोदनार्थ रखी जानी है।
5.	ई–II, वसंत कुंज के निकट स्थानीय बाज़ार केन्द्र	• स्कीम दिनांक 22.02.2017 को 347वीं एस.सी.एस. में मद सं. 15:2016 के द्वारा अनुमोदित। • स्कीम विकास एवं सीमांकन के लिए इंजीनियरिंग विंग को भेजी गई और प्लॉट के निपटान के लिए व्यावसायिक भूमि शाखा को भेजी गई।
6.	बड़ी संख्या में आवास , महरौली महिपालपुर रोड़, वसंत कुंज में स्थानीय बाजार केन्द्र	• टी.एस.एस. की इंजीनियरिंग विभाग से प्रतीक्षा की जा रही है • स्कीम एस.सी.एम. में शामिल की जाएगी • स्कीम विकास एवं सीमांकन के लिए इंजीनियरिंग विंग को भेजी गई और प्लॉट के निपटान के लिए व्यावसायिक भूमि शाखा को भेजी गई।
7.	बड़ी संख्या में आवास महरौली महिपालपुर रोड स्थित सुविधा बाज़ार	• इंजीनियरिंग विभाग से टी.एस.एस. प्राप्त की जानी है • स्कीम एस.सी.एम. में शामिल की जाएगी।
8.	जिला केन्द्र नेहरू प्लेस	• शक्ति फाउंडेशन रिपोर्ट पर आधारित आंकलन इंजीनियरिंग विंग को अपग्रेडेशन के लिए भेजा गया। नेहरू प्लेस में डी.डी.ए. बिल्डिंग नं 42 के जिला केन्द्र का कार्य शुरू किया गया।
9.	विकास सदन का पुनर्विकास	• दि.मु.यो. 2021 के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. के उपयोग का कार्य शुरू किया गया। • एस.सी.एम. के अनुमोदन के लिए व्यापक संकल्पनात्मक स्कीम प्रस्तुत की जाएगी। • 45.0 मीटर की ऊँचाई के लिए ए.ए. आई. से अनापत्ति प्रमाण–प्रत्र प्राप्त हो गया है।
10.	डी–6, वसंत कुंज के पीछे मेगा हाउसिंग	• अंतिम रूप से विकास योजना, द्वि–स्तरीय पार्किंग, प्लॉटिड हाउसिंग एवं बेसमेंट पार्किंग प्लान तैयार किया गया। • स्क्रीनिंग समिति में रखा जाएगा।
11.	सयूरपुर में ई.डब्लयू. एस. आवास	• स्कीम एस.सी.एम. में अनुमोदित। • स्थल एल.डी.आर.ए. के अंतर्गत आता है। • स्थल भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 24 / 2 के अंतर्गत आता है।
12.	सतबड़ी (मल्लू फार्म के निकट) छतरपुर में एच.आई.जी. आवास	• स्थल एल.डी.आर.ए. के अंतर्गत आता है। • स्कीम एस.सी.एम. में अनुमोदित । • स्थल भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 24 / 2 के अंतर्गत आता है।
13.	सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक का उन्नयन	• योजना की संवीक्षा की गई और आगे की कार्रवाही हेतु ड्राइंगें इंजीनिरिंग विंग को जारी की गई।
14.	बी–9, बसंत कुंज में मसूदपुर समाज सदन के निकट ग्रुप हाउसिंग	• वास्तुकलात्मक योजना की विभाग में शुरूआत की गई। • एस.सी.एम. में अनुमोदन हेतु शामिल किया जाएगा।
15.	बसंत एन्कलेव, बसंत विहार में एस.एफ.एस. हाउसिंग	• एजेंसी कार्यालय हेतु स्थान एवं खुले स्थान पर कार पार्किंग के लिए स्थान की व्यवस्था हेतु योजना तैयार की गई।
16.	सुलतानगढ़ी के निकट वसंत कुंज में बड़ी संख्या में आवास।	• कलर स्कीम को अंतिम रूप दिया गया और इसे इंजीनियरिंग विभाग को जारी किया गया। • इंजीनियरिंग विभाग को विकास योजना एवं चारदीवारी स्पष्टीकरण दिया गया।

4-3 Hk&n'; ,o i;koj.kh; ;ktuk bdkbl

दिल्ली, जो 1497 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है, देश के हरित महानगरों में से एक है। इस शहर ने हाल ही के समय में अपने खुले स्थलों पर बढ़ते हुए बोझ के साथ आश्चर्यजनक विकास किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टी, समीपवर्ती हरित क्षेत्रों इत्यादि के रुप में खुले स्थलों के विकास के लिए अपने सचेतन प्रयासों के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास एवं रख–रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लगभग 3800 छोटे एवं बड़े पार्कों के साथ–साथ, दि. वि. प्रा. जैव–वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, कूड़ा भराव क्षेत्र का सुधार तथा जलाशयों का नवीनीकरण एवं तालाबों के पुनरुद्धार के विकास के लिए अपने हाल ही के प्रयासों के साथ उन हरित क्षेत्रों के उन्नयन एवं रख–रखाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए हुए है, जिसे शहर के वायुप्रद स्थान के रुप में जाना जाता है।

दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण को हरित पट्टियों, थीम पार्क, शहरी वन, स्मारकों के

आस–पास हरित क्षेत्र, जैव–वैविध्य पार्कों इत्यादि का विकास करके बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रों को दि.वि.प्रा. की भू–दृश्य एवं पर्यावरणीय योजना इकाई द्वारा तैयार किया गया है। इसमें निम्न शामिल हैं:–

- मुख्य योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिज़ाइनिंग एवं नीति विषयक निर्णय।
- समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, एवं चिल्ड्रन पार्कों के साथ–साथ दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी जिला पार्कों की डिजाइनिंग।
- जैव–वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, कूड़ा भराव क्षेत्र स्थलों का सुधार, विरासत परियोजनाओं तथा हरित लिंकेज जैसी विशेष परियोजनाओं का कार्य इकाई द्वारा शुरु किया गया। जल संचयन एवं वर्षा जल संचयन, भूमिगत जलवाही स्तर की अवधारणा विभिन्न हरित क्षेत्रों की योजना का एक अनिवार्य भाग है। हरित क्षेत्रों की डिजाइनिंग एवं उन्नयन की प्रक्रिया में, दिव्यांग जनों के लिए डिजाइन सुविधाओं को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इन डिजाइन सुविधाओं को प्लाजा के प्रवेश द्वार, किड्स प्ले एरिया, बैठने के स्थान और पैदल पथ में रखा गया है। उदाहरण के लिए, मिलेनियम पार्क के प्रवेश स्थल पर सभी दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए रैम्प उपलब्ध करवाए गए हैं। आरक्षित वनों, क्षेत्रीय पार्कों और प्रतिबंधित वनों में बांस के शेल्टर लगाकर पर्यावरण अनुकूल अवधारणाओं का उपयोग करने की नई लहर तथा दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों में सामग्री को क्रियान्वित किया गया है। पार्कों और खेल स्थलों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए शौचालय प्रस्तावित किए गए हैं। जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पार्कों में ऑपन जिम लगाए गए है तथा और अधिक ऑपन जिम का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों के लिए फाइबर ग्लास मैटीरियल वाले खेलने के उपकरण सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं।

vi¢y] 2016 l¢ ekp¢] 2017 rd 'k# dh xbZ ifj;kstuk,¡

I. यमुना जैव वैविध्य पार्क, फेज–II।

II. यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्य–जोन 'ओ'।
- नवीनतम जी.आई.एस. नक्शें की सहायता से आंकड़ों का संकलन।
- एन.जी.टी. आदेशों के अनुसार प्रभाव का आकलन।
- यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एकीकृत केन्द्र (यू.सी.आर.आर. वाई.) पर माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुतीकरण।
- जी.एस.डी.एल. यमुना बाढ़ क्षेत्र आंकड़ों के आधार पर दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली भूमि की पहचान।
- जी.एस.डी.एल. यमुना बाढ़ क्षेत्र आंकड़ों के आधार पर 25 वर्ष में 1 बार सीमांकन और मानव की पारस्पारिक क्रिया के लिए संभावित जोनों की पहचान करना।
- प्रधान समिति/विशेषज्ञ समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार बृहद् नमीयुक्त भूमि और संभावित जैव वैविध्य जोनों की पहचान करना।
- यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना की व्यापक योजना तैयार करना (स्टैप–2)
- चार पृथक क्षेत्रों की पहचान जिस पर तुरन्त कार्य शुरु किया जा सके।
- चार पृथक परियोजनाओं की अवधारणा गोल्डन जुबली पार्क जोन, बारापुला क्षेत्र, गढ़ी मांडू जोन, डी.एन.डी. जोन।
- एसिटा – यमुना।
- क्षेत्र 2 का विस्तार से विकास – संभावित आर्द्र क्षेत्रों सहित मुगल बाँध के साथ ओल्ड रेलवे ब्रिज से आई.टी.ओ. बैरेज (वेस्टर्न बैंक) तक क्षेत्र के स्थलाकृति अध्ययन के आधार पर विकास किया गया।
- स्थलाकृति के आधार पर वृक्षारोपण नीति तैयार की गई।
- ग्रीनवे का विवरण तैयार किया जा रहा है।
- आधारभूत वास्तविकता के साथ समन्वय का कार्य चल रहा है।

III. स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी का प्लाजा एवं प्ले एरिया विवरण।

IV. कार्य विवरण सहित महिपालपुर, खसरा नं. 324 में जलाशय का विकास।

V. डिस्ट्रिक पार्क, सेक्टर–23, द्वारका एवं वर्किंग ड्राइंगों को तैयार करना

VI. कार्य विवरण सहित झील पार्क, हरि नगर का पुनर्विकास एवं पुनरुद्धार।

VII. कार्य विवरण सहित बाबा अधरंग नाथ जोहर, पॉकेट–1, सेक्टर–बी वसंत कुंज में जलाशय का विकास।

VIII. जी.डी.राठी की प्रदूषक औद्योगिकी इकाई द्वारा सौंपी गई खाली भूमि–कार्य विवरण सहित।

IX. राष्ट्रमंडल खेल गांव से सटे हुए हरित क्षेत्र के लिए भू–दृश्य योजना का कार्य विवरण।

X. जैव–वैविध्य पार्कों से संबंधित कार्य;
- वनस्पति, मैदानी भाग का विश्लेषण और तिलपथ वैली का पहुंच मार्ग।
- द्वारका सेक्टर–20 में जैव–वैविध्य पार्क की संभावना के लिए विश्लेषण।
- तुगलकाबाद में जैव–वैविध्य पार्क का विश्लेषण।

XI. सूरजमल समाधि का उन्नयन–कार्य विवरण सहित।

XII. जी.डी.राठी–हरित क्षेत्रों की वर्किंग ड्राइंगें।

XIII. मायापुरी में प्रेस कॉलोनी के साथ सटा हुआ हरित क्षेत्र–कार्य विवरण सहित।

XIV. पैज रोड़ एवं रानी झांसी रोड़, झंडेवालान के मध्य हरित क्षेत्र–कार्य विवरण।

XV. शक्ति नगर में बिरला टेक्स्टाइल द्वारा सुपुर्द भूमि पर हरित क्षेत्र एवं पार्किंग ड्राइंगों को तैयार करना।

XVI. निम्नलिखित ग्रीन लिंकेज की संकल्पनात्मक योजना एवं कार्य विवरण:
- जनकपुरी
- अशोक विहार
- हौज खास
- मायापुरी
- शालीमार बाग–पीतमपुरा।

XVII. अस्पताल में वन का उन्नयन।

XVIII. स्थल योजना के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए नरेला, ए1–ए4 की विभिन्न पॉकेटों में हाउसिंग ले–आउट की स्थल योजना का पुनः मूल्यांकन।

XIX. मायापुरी में सरकारी प्रेस कॉलोनी के सामने हरित क्षेत्रों की

भू–दृश्य योजना।

XX. शक्ति नगर में बिरला टेक्सटाइल द्वारा सुपुर्द भूमि पर हरित क्षेत्र की वर्किंग ड्राइंगों का कार्य चल रहा है।

XXI. वसंत उद्यान में हरित क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्लान तैयार किया जा रहा है।

XXII. नांगलोई में उद्योग द्वारा भूमि के चारों ओर के हरित क्षेत्र का विकास प्रक्रियाधीन।

XXIII. ग्रीन फील्ड परियोजना के रुप में द्वारका सैक्टर–20 के लिए वैश्विक प्रतियोगिता।

XXIV. स्वर्ण जयंती पार्क और आस्था कुंज के लिए ब्राउन फील्ड परियोजना के लिए आर.एफ.पी. दस्तावेजों को तैयार करने में दी गई जानकारी।

XXV. संजय लेक की संकल्पना योजना को तैयार किया गया।

XXVI. विभिन्न दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों में डी.एम.आर.सी. को (स्थायी और अस्थायी आधार पर) भूमि उपलब्ध कराना और डी.एम.आर.सी. के अन्य सम्बन्धित कार्य।

XXVII. नीति और दिशा–निर्देशों के अनुसार हरित क्षेत्रों और खेल के मैदानों में सुविधाओं का प्रावधान जैसे बेम्बू शैल्टर्स, शौचालय, बाड़ लगाना शैल्टर्स, पेय–जल, बॉयो–शौचालय इत्यादि।

XXVIII. विभिन्न पार्कों में ओपन जिम का प्रावधान।

XXIX. ''पार्कों को गोद'' लेने के मामले प्रक्रियाधीन हैं।

vU; dk;Zdyki

- दि.मु.यो.–2021 के पर्यावरण अध्याय की समीक्षा हेतु प्रलेखन।
- यू.सी.सी.आर.वाई. के जनादेश के प्रतिपादन हेतु प्रलेखन और यू.सी.सी.आर.वाई. की अंतिम अधिसूचना।
- नदी यात्रा हेतु शर्तें।
- बाहय विशेषज्ञ सदस्यों की सहायता से डी.डी.ए. पार्कों में कलाकृति को बढ़ावा देना।
- दिल्ली के लिए इंटेग्रेटिड ग्रीन सर्किट पर व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- ''हरित दिल्ली स्वच्छ दिल्ली'' हेतु माननीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण।

4-4 vuf/kÑr dkyksuh iadks"B vkSj tksu &ts

d- tksu&ts dh lnHkZ esa Hkwfe mi;ksx ifjorZu dk ekeys

(I.) tksu&ts esa bXuw dSEil dk fudV eSnkux<+h esa fLFkr Bk l vif’k"V izca/ku lqfo/kk ds fy, 3-74 gsDVs;j ¼9-25 ,dM½ {ks= Hkwfe dk mi;ksx dk vkoklh;] Hkwfe mi;ksx vkSj lkoZtfud ,oa v/kZlkoZtfud lqfo/kk,¡ ¼ih,lih&I½** ls ^^mi;ksfxrk** ¼;w&4½ esa ifjorZu izfØ;k/khu gSA

¼[k½ Hkwfe vf/kxzg.k vf/kfu;e] 2013 ds [k.M 24¼2½@,l-,y-ih- ds vUrxZr Hkwfe@ iSdsV ds fy, tksu&ts esa vkus okys Hkwfe foHkkx }kjk miyC/k djkbZ xbZ fn-fo-iz- dh [kkyh iMh iSdsV@Hkwfe ds iqu% vf/kxzg.k dh izfØ;kA

¼x½ ikjEHk fd, x, vU; iz;kl ;kstuk dk;Z%

(I) eSnku x<+h] l;qjiqj lrcMh vkSj eYyw QkeZ fLFkr {ks= ds fodkl ds lca/k esa ,dhÑr jksM usVodZ ;kstuk vkSj lok,sa

टी.एस.एस.और सड़क नेटवर्क प्लान पर सजरा प्लान के अधिरोपण के बाद एकीकृत सड़क नेटवर्क के प्रस्ताव को अन्तिम रुप देने का कार्य किया जाएगा।

(II) Nrjiqj esa jk-jk- {ks- fnYyh ljdkj ds fy, 225 fcLrj okys vLirky ds fuekZ.k ds fy, Hkwfe ds Hkwfe&mi;ksx esa ifjorZuA

इग्नू से 30 मीटर चौड़ी सड़क द्वारा कनेक्टिविटी और भूमि–उपयोग में परिवर्तन के मामले की जाँच की जा रही है। मामले को स्वास्थ्य विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास अग्रेषित कर दिया गया है ताकि पी.डब्ल्यू.डी. के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

जोन–जे में पहले से विद्यमान सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक, स्वास्थ्य देख–रेख सहित) और शैक्षिक संस्थाओं के नियमन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

(III) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार केन्द सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विकास योजना जोन–जे और अधिसूचित मुख्य योजना–2021 के संदर्भ में एन.सी.जैड. साइट्स की आधारभूत वास्तविक जानकारी।

(IV) जोन–जे की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार सुविधा कॉरीडोर के अंदर आने वाली भूमि की जाँच और एस.डी.एम.सी. के साथ परामर्श करके ले–आउट प्लान तैयार करना

¼?k½ fnYyh ljdkj }kjk fu;eu ds fy, lfpr 1639 vuf/kÑr dkyksfu;ksa ls lcaf/kr tkap dk;ZA

अनधिकृत कॉलोनियों में आने वाली दि.वि.प्रा. की भूमि की पहचान एवं जाँच करना। विभिन्न मापदण्डों जैसे आबादी, श्रेणी, क्षेत्र आदि के आंकड़ों का संकलन किया जाना।

¼M-½ क्षेत्रीय विकास योजना जोन–जे में पहुंच योग्य और गैर–पहुंच योग्य स्थलों के लिए चिन्हित दि.वि.प्रा. की अधिग्रहित भूमि की अवस्थिति इसे समुचित उपायोग हेतु छानबीन समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

ykd uk;d iqje fLFkr ,y-vkb-th- ¶ySV

5 vfHk;kf=dh ,o fuek.k dk;dyki

5.1 vkokl %&

वर्ष 2016–17 के दौरान प्री–फैब तकनीक से विभिन्न जोन में लगभग 53,950 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं। दिनांक 01.042016 को बनाए जा रहे आवासों और शुरु किए जाने वाले नए आवासों का विवरण निम्नानुसार हैः–

l[;k	fooj.k	,l,Q,l@,pvkbth	,evkbth	,yvkbth	bMCY;,l@turk	dqy
1.	01.04.2016 को बनाएं जा रहे आवास	4,747	9,121	16,612	23,470	53,950
2.	वर्ष 2016–17 के दौरान पूरे किए जा चुके आवास	---	---	---	3108	3,108
3.	वर्ष 2016–17 के दौरान शुरु किए गए नए आवास	---	---	11,767	2,580	14,347
4.	31.03.2017 को बनाए जा रहे आवास	4,747	9,121	28,379	22,942	65,189

उक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2016–17 के दौरान शहरी गरीबों के लिए 11,767 एल.आई.जी. और 2,580 ई. डब्ल्यू. एस. नए आवासों का निर्माण–कार्य शुरु किया गया।

5.2 b-MCY;-,l- vkokl

दि.वि.प्रा., दिल्ली के विभिन्न भागों में एक लाख ई.डब्ल्यूएस. आवासों का निर्माण करेगा। दक्षिणी जोन में निम्नलिखित भूमि की पहचान की गई है, जहाँ 22,860 ई.डब्ल्यूएस. आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक पॉकेट में शुरु किए जाने वाले संभावित ई.डब्ल्यूएस. आवासों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है–

l[;k	vofLFkfr	vkoklk dh l[;k
1.	डीडीए फ्लैटों के निकट रंगपुरी	1000
2.	सतसंगी विद्यालय के पीछे सयूरपुर अनधिकृत कॉलोनी	3040
3.	नैबसराय	1200
4.	सतबड़ी (श्मशान भूमि के निकट)	98
5.	आई.आई.पी.एम. के सामने सतबड़ी	350
6.	सतबड़ी (मल्लु फार्म के पास)	1200
7.	खड़क गाँव	2800
8.	खड़क गाँव के पास सोरपुर गांव	464
9.	मैदानीगढ़ी के निकट (गाँव के तालाब के निकट)	7908
10.	मैदानीगढ़ी के निकट	2000
11.	राजपुर खुर्द एक्सटेंशन	2000
12.	भवानी कुंज (रामा पार्क के निकट)	800
	dqy	**22,860**

बढ़ते हुए शहरीकरण का सामना करने और i/kkue=h vkokl ;ktuk के अनुसार सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कार्य उचित समय में शीघ्र ही किए शुरु जाएंगें।

i) सरस्वती अपार्टमेंट के निकट मंडावली फाजलपुर में श्रेणी–I और ई.डब्ल्यू.एस. की 400 आवासीय इकाइयों का निर्माण।

ii) शिव मंदिर और हावर्ड स्कूल के बीच स्थित प्रीत विहार में 304 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयों का निर्माण।

iii) खिचड़ीपुर में 705 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयों का निर्माण।

iv) 1350 एल.आई.जी. इकाइयों के पीछे कोंडली–घरौली में 800 ई.डब्ल्यू.एस आवासीय इकाइयों का निर्माण।

5-3 Hkfe dh iz[k fodkl ;kstuk,¡&

दि.वि.प्रा. ने मुख्य योजना के अनुसार शहर की सीमाओं को बढ़ाने के लिए भूमि के विकास की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है। विकसित किए जा रहे नए उप नगर द्वारका, नरेला और रोहिणी हैं। वर्ष के दौरान इन उप–नगरों में मुख्य भौतिक आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के रूप में सड़कों, सीवरेज, जल निकास जलापूर्ति, विद्युत लाइन इत्यादि की व्यवस्था की गई।

;kstuk dk uke	;kstuk dk {ks=Qy ¼gsDVs;j esa½	lM+dsa ¼fd-eh- esa½	lhoj ykbu ¼fd-eh- esa½	tykiwfrZ ¼fd-eh- esa½	cjlkrh ukys ¼fd-eh- esa½
jksfg.kh Qst IV ,oa V	1119.91	58.93	30.51	30.20	58.93

5-4 lkeqnkf;d Hkou

दि. वि. प्रा. ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक भवनो का निर्माण किया है। वर्ष 2016– 2017 के दौरान 05 सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा किया गया। 18 प्रगतिधीन है, 24 के निर्माण हेतु योजना बनाई जा रही है और 15 वैचारिक स्तर पर हैं।

5-5 O;kolkf;d 'kkfiax lsVj@dkWEIysDl

वर्ष के दौरान 03 व्यावसायिक केन्द्र/कॉम्पलेक्स/डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 06 प्रगतिधीन/निर्माणधीन हैं।

5-6 lkekftd&lkaLÑfrd dsUnz

सामाजिक गतिविधियों के लिए बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान सी.बी.डी शाहदरा और मयूर विहार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 02 सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। तदनुसार, व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परार्मशदाता के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (आर.एफ.पी) आंमत्रित की गई।

5-7 ikdksZa esa ykbV dh O;oLFkk&

दि.वि.प्रा ने वर्ष के दौरान 27 पार्कों में लाइट की व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य पूरा किया।

5-8 Lo&LFkkus fodkl&

i) tsyjokyk ckx] v'kksd fogkj] fnYyh esa Lo&LFkkus fodkl

जेलरवाला बाग, अशोक विहार स्थित स्लमनिवासियों के स्व–स्थाने पुनर्वास के लिए 1675 बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया।

छानबीन समिति ने 10.04.2015 को ले–आउट और वास्तुकलात्मक प्लान अनुमोदित किए और 16.06.2015 को अनुमोदन जारी किया। अन्य सांविधिक अनापत्ति दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली अग्निशमन सेवा एवं पर्यावरण अनापत्ति क्रमशः 09.03.2016, 19.04.2016 एवं 29.04.2016 को प्राप्त की गई।

तत्पश्चात् संशोधित भवन उपविधि के अनुसार दि.वि.प्रा ने प्लान को संशोधित करने का निर्णय लिया। एजेंसी को तद्नुसार वास्तुकलात्मक और संरचनात्मक ड्राईंग को संशोधित करने के लिए कहा गया। परिशोधित ड्राईंग अनुमोदनार्थ वास्तुकला विंग को प्रस्तुत की गई और 16.11.2016 को छानबीन समिति की बैठक मे इन्हें अनुमोदित कर दिया गया और 29.12.2016 को जारी कर दिया गया। संरचनात्मक डिजाइन भी प्राप्त हो गए है और उनकी सी.बी.आर.आई. रुडकी में प्रूफ चेकिंग की जा रही है।

5-9 'kgjh foLrkj lM+d

दि.वि.प्रा. ने दिल्ली करनाल रेलवे लाइन और दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन और दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी.के निर्माण सहित निम्नलिखित तीन शहरी विस्तार सड़कों का कार्य आरंभ कर दिया है। इन सड़कों का निर्माण यातायात के बोझ एवं भीड़ को कम करने, प्रदूषण स्तर घटाने, मुख्य राजमार्ग सड़क से सम्पर्क करने में सुधार करने और दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के विकास की गति में वृद्धि करने हेतु किया जा रहा है।

foLrkj lM+dh fooj.k fuEu izdkj gS&

जोन पी–II में शहरी विस्तार सड़कों का कार्य भूमि के अधिग्रहण के कारण नहीं किया गया शहरी विस्तार सड़कें केवल वहीं बनाई जा रही है जहाँ अन्तिम संपर्क मार्ग के साथ भूमि उपलब्ध है।

'kgjh foLrkj lM+d &I dh fLFkfr

शहरी विस्तार सड़क – I का निर्माण नरेला में दिल्ली करनाल रेलवे लाइन और एफ.सी.आई. गोदाम पर संयुक्त रोड ओवर ब्रिज को छोड़कर एन.एच.–I से बवाना औचंदी रोड (9.43 कि. मी.) तक किया गया है। उत्तरी रेलवे ने अपनी भूमि के हिस्से पर आर.ओ.बी का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है। मंत्रालय के निर्णय पर आर.ओ.बी. के शेष भाग के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाएंगी। शहरी विस्तार सड़क–I के निर्माण के लिए आगे कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है।

'kgjh foLrkj lM+d&II dh fLFkfr

शहरी विस्तार सड़क –II होलम्बी कलां पर रोड अंडर ब्रिज को छोड़ कर एन.एच.–I से कंझावला रोड़ तक निर्मित की गई है।

कंझावला रोड से एनएच–10 (05 कि.मी.) तक अवैध कॉलोनियाँ अर्थात् भाग्य विहार और मीर विहार हैं, जिनके नीचे एक सुरंग बनाई जानी प्रस्तावित है।

इसके प्रतिरिक्त, एन.एच–10 से बक्करवाला तक तीन कि.मी. के क्षेत्र का निर्माण पूरा होने वाला है और अगले तीन माह में इसे चालू किए जाने की संभावना है।

दो अनधिकृत कॉलोनी, ढिचाऊँ एनक्लेव और अमर कॉलोनी को छोड़कर बक्करवाला से नांगलोई–नजफगढ़ रोड़ (ढिचाऊँ कलां डिपो) तक 03 कि.मी. के लिए भूमि उपलब्ध है। भू–तकनीकी अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और प्रारंभिक अनुमान तैयार किया जा रहा है। ढिचाऊँ कलां डिपो से नजफगढ़ (07 कि.मी.) तक ड्रेन नगली सक्रवती, मसूदाबाद, श्याम विहार, रोशनपुरा

आदि कई अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, सघन आबादी वाली है। इस क्षेत्र के लिए निर्माण केवल 'प्रतिस्थापन नीति' के बाद ही संभव हो सकेगा और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास विकल्प को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में उपलब्ध क्षेत्र की भूमि के संरक्षण के लिए चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है।

नजफगढ़ नाले से रेवाड़ी लाइन अंडर पास तक सड़क के लिए भूमि उपलब्ध है जिसके लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) तैयार है। शिवमूर्ति के पास रेवाड़ी लाइन के एन–एच–8 तक का भाग निर्मित हो चुका है और चालू है। एन एच–8 से एन एच–2 तक की भूमि अधिग्रहित की जानी है।

'kgjh foLrkj lM+d III dh fLFkfr

पश्चिमी यमुना नहरें से माजरी सड़क (सैक्टर 2/22, रोहिणी) तक 7.3 कि.मी. की लम्बाई के लिए शहरी विस्तार सड़क (80 मीटर मार्गाधिकार) का निर्माण किया गया। शहरी विस्तार सड़क –III के निर्माण के लिए और कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रेम आधार नर्सरी (सैक्टर 24/32 रोहिणी) के पास अन–अधिग्रहित भूमि का भाग है, जिससे सड़क का 70 मीटर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हालांकि अन–अधिग्रहित भूमि के चारों ओर डाइवर्जन बनाकर सड़क पूरी तरह चालू कर दी गई है।

5-10- tSo&fofo/; ikdZ %

दि.वि.प्रा. ने हाल ही में अरावली, यमुना और नीला हौज जैव–वैविध्य पार्क विकसित किए हैं और हाल ही में मैदानगढ़ी के निकट तिलपथ घाटी जैव–वैविध्य पार्क और तुगलकाबाद जैव–वैविध्य पार्क आरंभ किया है।

संजय वन 783.43 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एक संरक्षित वन है दि.वि.प्रा. ने हाल ही में संजय वन के कुछ क्षेत्र में औषधीय पौधों की प्रजातियों का रोपण किया है।

5-11 tyk'k;ksa dh n[k&j[k %

दि.वि.प्रा. ने हाल ही में कुछ जलाशयों का पुनरूद्धार किया है और कुछ जलाशयों के पुनरूद्धार का कार्य प्रगति पर हैं।

5-12 ;equk ck<+xLr {ks= esa Hkwfe dk laj{k.k %

यह एक बड़ा कार्य है, जिसमें 45 कि.मी. का क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ किसी भी तरह की निमार्ण सम्बन्धी गतिविधि की अनुमति नहीं है। भूमि अच्छी तरह से संरक्षित है और उचित रूप से चार दीवारी से घिरी है। स्थिति का त्वरित कार्रवाई दल सतत् मॉनीटरिंग की जा रही है।

5-13 Rofjr dkjZokbZ ny ¼D;w-vkj-Vh-½ %

दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण को मॉनीटर करने के लिए और दि.वि.प्रा. की भूमि से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु सहायक अभियंता की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों में त्वरित कार्रवाई दल (क्यू.आर.टी.) का गठन किया गया है।

5-14 lM+dsa %

दि.वि.प्रा. के अधीन सभी मुख्य योजना और सैक्टरल सड़कों का दि.वि.प्रा. द्वारा उचित रूप से रखरखाव किया जा रहा है।

5-15 fofo/k xfrfof/k;ka %

fn-fo-izk- ikdks± dk mUu;u vkSj j[kj[kko %

(i) दि.वि.प्रा. ने कुछ पार्कों में खुले जिम उपकरण उपलब्ध कराए है। 2016–17 और 2017–18 के दौरान दक्षिणी द्वारका और पश्चिमी जोन में लगभग 20 जिम उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति पर 71 नए शौचालयों के निमार्ण का कार्य द्वारका ज़ोन के विविध पार्कों के लिए प्रदत्त किया गया है और दक्षिणी जोन के विभिन्न पार्कों में 52 शौचालयों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। ये सभी शौचालय वर्ष 2017–18 के दौरान चालू किए जाएंगे।

(iii) मायापुरी, हरि नगर और राजौरी गार्डन के विभिन्न पार्कों मे एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. शोधित जल की आपूर्ति के लिए यू.जी. आर. के निमार्ण और पाइप लाइन बिछाने का कार्य 2016–2017 में पूरा कर लिया गया है।

(iv) tgk¡iukg uxj ou %

जहाँपनाह नगर वन 435 एकड़ में फैला हुआ है और इसका रखरखाव संरक्षित वन के रूप में किया जा रहा है।

¼v½ lriqyk >hy ifjlj dk fodkl %

सतपुला झील परिसर दक्षिणी दिल्ली में 40 एकड़. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है यह परिसर प्रेस एन्क्लेव रोड़, शेख सराय सुविधा केन्द्र और खिचड़ी गाँव से घिरा हुआ है। क्षेत्र में सुधार करने के लिए झील परिसर की भूदृश्य योजना तैयार की गई थी। विकास कार्य अभी हाल ही में आरम्भ हुआ है और तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा।

(vi) olar dqat fLFkr 'kgjh ikdZ %

वसंत कुंज स्थित शहरी पार्क का डिजाइन बनाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति आमंत्रित के लिए आर.एफ.पी आमंत्रित की गई है। परामर्शदाता पार्क का पूरा डिजाइन प्रस्तुत करेगा और कार्य अगले वर्ष आरम्भ किया जाएगा

(vii) ug# Iysl ftyk dUnz dks le; vkLFkk dqat %

बहाई और इस्कॉन मंदिर के बीच नेहरु प्लेस से सटे हुए जिला पार्क मे दि.वि.प्रा ने 'आस्था कुंज' के नाम से 81 हैक्टेयर हरित क्षेत्र विकसित किया है।

(viii) feyfu;e ikdZ %

दिल्ली के सौन्दर्यीकरण के लिए आई.एस.बी.टी. सराय काले खां से भैरों मन्दिर मार्ग तक रेलवे लाइन और रिंग रोड के बीच की समस्त भूमि जिसका पहले कूड़ा डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता था का भू दृश्यांकन कर दिया गया है।

(क) रिंग रोड़ के साथ – साथ पार्क की कुल लम्बाई –लगभग –2 कि.मी.

(ख) भ्रमण मार्ग की कुल लम्बाई – लगभग 5 कि. मी.

(ग) जोगिंग ट्रैक की कुल लम्बाई – लगभग 6 कि. मी.

(ix) xzhu fyadst %

दि. वि. प्रा. ग्रीनलिंकेज पर दो फेज़ में कार्य कर रहा है।

(क) Qst&I : इसमें 85% वर्तमान प्रगति के साथ गुलाबी बाग, हौज खास, अशोक विहार और शालीमार बाग के पार्क शामिल है।

(ख) Qst&II : इसमें 0.5% वर्तमान प्रगति के साथ अशोक विहार, शालीमार बाग और पीतमपुरा के पार्क शामिल है।

6 m|ku&jkt /kkuh dk gjk&Hkjk cukuk

¼d½ o{kkjksi.k ¼l[;k e½

Øe lå	funs'kky; dk uke	y{;				miyfC/k;ka			
		o{k		>kfM;ka		o{k		>kfM;ka	
		okLrfod ¼l[;k½	foÙkh; ¼# e½	okLrfod ¼l[;k½	foÙkh; ¼# e½	okLrfod ¼l[;k½	foÙkh; ¼# e½	okLrfod ¼l[;k½	foÙkh; ¼# e½
1	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	16340		16,450		16,440		65,500	
2	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	51,220	76,83,000	1,50,150	112,61,250	38,860.	58,29,000	1,32,039	98,99,175

¼[k½ u, yku dk fodkl ¼,dM e½

Øe lå	funs'kky; dk uke	y{;		miyfC/k;ka	
		okLrfod ¼,dM e½	foÙkh; ¼# e½	okLrfod ¼,dM e½	foÙkh; ¼# e½
1	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	31.16		9.1	
2	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	33.00	49,50,000	2.00	3,00,000

¼x½ fpYMªu ikdZ@dkuZj ¼lV½ e½

Øe lå	funs'kky; dk uke	y{;		miyfC/k;ka	
		okLrfod ¼,dM e½	foÙkh; ¼# e½	okLrfod ¼,dM e½	foÙkh; ¼# e½
1	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	30		20	
2	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	36	7,20,000	18	3,60,000

fp=xIr ikdZ] jkfg.kh

7 Hkfe ic/ku ,o Hkfe fuiVku foHkkx

7-1 Hkfe ic/ku foHkkx

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बहुत बडा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की भूमि की देखभाल और सन 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंधन एवं देखरेख करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो तत्कालीन पुर्नवास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अंर्तगत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय की कुछ भूमि भी देखभाल एवं रख–रखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है।

Hkfe ic/ku foHkkx d e[; dk; fuEufyf[kr g&

i) भूमि का अधिग्रहण करना।

ii) भूमि का प्रबंधन।

iii) भूमि उपयोगकर्ता विभागों की सहायता करना।

iv) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एंजेसियों के साथ समन्वय करना।

v) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उसका निष्पादन करना।

vi) विकास क्षेत्रों मे अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करना।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संबंधित भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (एल.ए.सी), दिल्ली द्वारा दि.वि.प्रा. को कोई भूमि नहीं सौपी गई। भूमि–प्रबंधन की क्षतिपूर्ति शाखा को बेदखली और सरकारी भूमि पर अनधिकृत रुप से बसे आबादकारों के अधिभोग से होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने एवं वसूली करने का काम सौंपा गया है। इसके दो संपदा अधिकारियों को पी.पी. अधिनियम के अर्तगत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत क्षति के मूल्यांकन और बेदखली का कार्य सौंपा गया है।

fn-fo-ik- d Hkfe ic/ku foHkkx i.kkyh e l/kkj yku d fy, fd, x, l0;ofLFkr ifjorZu

दि.वि.प्रा. के भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य–प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए:–

1½ दि.वि.प्रा. के खाली पड़े प्लॉटों की सूची तैयार करना।

I) पहले दि.वि.प्रा. खाली प्लॉटों की कोई भी पूरी समेकित सूची नहीं थी विभिन्न भू–स्वामित्व विभाग जैसे भूमि प्रबंधन इंजीनियरिंग उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी खाली प्लॉटों की एक व्यापक सूचि समस्त विवरण सहित एक्सेल शीट में तैयार की जा चुकी है और इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।

II) इस विवरण में गाँव का नाम खसरा सख्या प्लॉट का क्षेत्र अतिक्रमित क्षेत्र, यदि कोई हो, प्लॉट का वास्तविक खाली पड़ा क्षेत्र, निर्मित अतिक्रमण क्षेत्र, भूमि उपयोगी ले–आउट प्लान, पर्यवेक्षक अधिकारी का संपर्क विवरण स्थल के अक्षांतर और देशांतर फोटो और मुकदमे की स्थिति शामिल है।

2½ Hkfe lj{kk d fy, ekud çpkyu dk;Z çfØ;k ¼,l-vks-ih-½ rS;kj dh xbZ vkSj blds fØ;kUo;u d fy, iPkfyr dj fn;k x;k gSA

i) इंजीनियरिंग और भूमि प्रबंधन विभागों के संबंधित अधिकारियों द्वारा दि.वि.प्रा. की भूमि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी) को जारी कर दिया गया है। इन आदेशों से कानूनगो/कनिष्ठ अभियंता से उप निदेशक/अधिशासी अभियंता के स्तर तक अधिकारियों की जवाबदेही नियत हो जाती है। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एक्सेल शीट पर अपलोड कर दिया गया है और इन स्थलों के निरीक्षण करने की अवधि को एस.ओ.पी. में निर्धारित कर दिया गया है। कानूनगो /कनिष्ठ अभियंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक संपत्ति का निरीक्षण सप्ताह में कम से कम एक बार करना है और उनके रिर्पोटिंग अधिकारी द्वारा स्थलों का निरीक्षण महीने में एक बार किया जाना चाहिए। संबंधित उप निदेशकों/अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्रत्येक दो महीने बाद उनके अंतर्गत आने वाली अति संवेदनशील/कीमती खाली प्लॉटों में से कम से कम 10 प्रतिशत का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना अपेक्षित है। सबंधित विभागाध्यक्षों अर्थात् मुख्य अभियंता, आयुक्त (भूमि प्रबंधन) और निदेशक (उद्यान), प्रत्येक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट हर महीने उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत करेंगे।

ii) यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण जानकारी में आता है, तो उसे हटाना सबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद भूमि को उचित सीमांकन के साथ इंजीनियरिंग विभाग को सौंपा दिया जाएगा। अतिक्रमण को हटाने के बाद, इसका फोटो लिया जाएगा और इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। स्थल को इंजीनियरिंग विभाग को दोनों तरीकों से स्थल पर वास्तविक रूप से और दस्तावेजों में सौंपने/ग्रहण करने के माध्यम से सौंप दिया जाएगा।

अतिक्रमण की रोकथाम की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता विभाग की होगी। इंजीनियरिंग विभाग वर्तमान अतिक्रमणों को क्यू.आर.टी. के माध्यम से हटाएगा। स्थलों के मुकदमों की स्थिति भूमि प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक प्लॉट को भूमि उपयोग के साथ कोड संख्या दी जाएगी। सभी खाली पड़े बड़े प्लॉटों को उचित सीमांकन के साथ इंजीनियरिंग विभाग

को सौंप दिया जाएगा। छोटे खाली पड़े प्लॉटों का निपटारा तुरंत कर दिया जाएगा।

iii) पहले अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण–कार्य गिराये जाने हेतु दि.वि.प्रा. के विभिन्न भू–स्वामित्व विभागों द्वारा कोई मानक एवं व्यापक फॉर्मेट का पालन नहीं किया जा रहा था। एक विस्तृत मानक फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसे विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा निर्माण–कार्य गिराये जाने के कार्यक्रम के निष्पादन हेतु अनुरोध भेजते समय भरना अपेक्षित है।

3. fn-fo-ik- dh Hkfe ij vfrØe.k dh fuxjkuh grq ekckby Qku ij vk/kkfjr ,Iyhd'ku r;kj djukA

दिनांक 07.10.2015 को जारी कार्यालय आदेश के द्वारा जारी एस.ओ.पी. में यथा उल्लेखित दि.वि.प्रा. की भूमि का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी फील्ड स्टॉफ को एन्ड्रोइड आधारित फोन उपलब्ध करायें गए हैं और स्थलों के फोटोग्राफ, जिनमें फोटोग्राफ की तिथि सहित अक्षान्तर और देशान्तर को दर्शाने की भी व्यवस्था होगी, को अपलोड करने के लिए एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा स्थल पर स्वयं की एक सेल्फी अपलोड करना अपेक्षित है।

4. Hkfe ic/ku foHkkx d i;ok{kd LVkQ dk lq<hdj.k

भूमि निपटान एवं आवास विभागों की प्रवर्तन विंग को समाप्त कर दिया गया है और कार्य को क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के त्वरित कार्यवाही दलों (क्यू.आर.टी.) को हस्तांतरित कर दिया गया हैं।

5. QhYM&Lrj d vf/kdkfj;ka dk ckjh&ckjh l LFkkukUrj.k

पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक निदेशक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और सर्वेक्षक सहित भूमि प्रबंधन विभाग के सभी फील्ड स्तरीय अधिकारियों, जिन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर एक वर्ष से अधिक हो गया था, को स्थानान्तरित कर दिया गया है। भूमि प्रबंधन विभाग के सभी सुरक्षा गार्ड, जो लंबे समय से उसी जोन में तैनाती थे; उन्हें भी स्थानान्तरित कर दिया गया है।

6. bathfu;fjx foHkkx dk [kkyh iMh Hkfe dk vrj.k

यह निर्णय लिया गया है कि भूमि प्रबंधन विभाग की संपूर्ण खाली पड़ी भूमि को स्थल पर उचित सीमांकन के बाद इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया जाएगा। खसरा सं, स्थलों के देशांतर और अक्षान्तर आदि विवरण का, सौंपने/ग्रहण करने के रिकार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कपड़े पर स्थल का सीमांकन होने के बाद सौपनें/ग्रहण करने का कार्य भूमि प्रबंधन और अभियंता विभाग के बीच होगा। इंजीनियरिंग विंग को प्लॉट सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है।

7.

dk;l	vi\y 2016 l ekp 2017 rd dh miyfC/k;k
दि.वि.प्रा. के अधीन 23 नजूल सपंदाओं के राजस्व नक्शों का भू–संदर्भ जी.एस.डी.एल. की सहायता से किया जाना है।	अब तक 19 नजूल संपदाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है।
गाँवों की कुल संख्या जिनमें भूमि अधिग्रहित की गई और भू रिकॉर्ड अर्थात सजरा/मसावी नक्शे डिजिटाइज्ड किए गए।	भू रिकॉर्ड अर्थात सभी 240 गाँवों के सजरा और मसावी नक्शे।

01 vi\y] 2016 l 31 ekp] 2017 rd Hkfe ic/ku foHkkx l lcf/kr okLrfod ixfr ¼okLrfod ,o foÙkh; nkuk½] fuEu ikdkj g%&

dk;l	miyfC/k
(क) रा.रा.क्षे.दि. सरकार के एल.ए. सी./एल.ए एवं बी. विभाग द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	शून्य
(ख) क्षतिपूर्ति की वसूली	₹ 1,54,14,499/-
(ग) जारी किया गया मुआवजा	₹ 44,53,815/-
(घ) जारी किया गया बढ़ा हुआ मुआवजा	₹ 27,78,56,504/-
(ड.) निर्णीत बेदखली के मामले	लगभग 1300 बेदखली के मामले निपटाए गए।
(च) एल.ए.सी. द्वारा पूरे और प्रमाणित किए गए अवार्ड का समाधान कार्य।	525 अवार्ड
(छ) भूमि रिकार्ड का स्केनिंग कार्य	395 फाइलों का स्केनिंग कार्य किया जा चुका है और कार्य चल रहा है।
(ज) दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित भूमि की स्थिति	भूमि प्रबंधन विभाग के सभी जोन में वर्ष 2016–17 के दौरान भूमि प्रबंधन विंग के पास उपलब्ध 1089 खाली पड़े प्लॉटों के 54732 फोटोग्राफ अपलोड किए गए।

7.2 Hkfe fuiVku foHkkx

भूमि निपटान विभाग आवासीय, सांस्थानिक, व्यावसायिक एवं औद्यगिक प्लॉटों के निपटान का कार्य करता है, भूमि निपटान विभाग द्वारा निर्मित दुकानो का भी निपटान किया जाता है आबंटन नीलामी/ निविदा द्वारा किया जाता है। किसानों से ली गई भूमि के बदले में उन्हें वैकल्पिक प्लॉट आबंटित

करने का कार्य भी भूमि निपटान विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016–2017 के दौरान भूमि निपटान विभाग के विभिन्न अनुभागों की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

क्रम सं.	मद	जी. एच	सी. एस	एल. एस. बी. (आर. ओ)	एल. ए.बी. (आर ओ)	सी. ई	सी .एल	एल. एस. बी – I	आई. एल	ओ. एस. बी	एल. पी. सी.	एल. ए. (आवासीय)	कुल
1.	वार्षिक प्राशुल्क(ऑंकडे / करोड रु. मे)		जीआर ₹ 30.00		₹ 1.71.00	₹ 0.45	₹ 502.00	₹ 55.02.00	₹ 675.18.00	₹ 8.62.00		₹ 1.08.00	₹ 1244.36.00
2.	परिवर्तन के मामले	4332	276		2980	398	129	201	---	654	---	372	9342
3.	नामांतरण की अनुमति दी गई	105	116	681	54	22	36	27	शून्य	42	---	74	1157
4.	निष्पादित किए गए पट्टा विलेख	शून्य	10	---	4179	---	56	1	02	02	---	282	4532
5.	जारी किए गए कब्जा पत्र	शून्य	शून्य	2308	---	---	---	शून्य	01	02	---	06	2317
6.	समयावधि को बढाया गया	शून्य	शून्य		208	---	82	8	10	शून्य	---	29	337
7,	बधंक रखने की अनुमति प्रदान की गई	शून्य	---	---	---	---	27	--	02	शून्य	---	शून्य	29
8.	निपटान किए गए आई टी ई मामले		163	---	310	394	245	175	---	272	---	184	1743
9.	उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस	शून्य	शून्य		147	99	17	30	11	---	---	12	316
10.	रद्दकरण	शून्य	---	---	02	---	---	शून्य	शून्य	---	----	---	2
11.	बहालीकरण	शून्य	शून्य	---	03	---	---	1	शून्य	01	---	---	5
12.	नीलामी / वैकल्पिक आबटन द्वारा किया गया आबटन	शून्य	---	---	---	---	---	----	शून्य	---	---	04	4
13.	टिप्पणियाँ	व्यावसायिक संपदा : ई –निविदा के माध्यम से 1000 (लगभग) दुकानें निपटाई गई एल.एस.बी. (रोहिणी) : 2016–17 के दौरान प्लॉटों आबंटन – 44 एल.पी.सी : ई – नीलामी से 14 पार्किंग स्थलों का आबंटन ई – नीलामी द्वारा कियोस्क का आबंटन –40, कब्जा पत्र के मामले (पार्किंग 6, कियोस्क 20)											

सी.डी. – हस्तातंरण विलेख
जी.एच. –समूह आवास
सी.एस. –सहकारी समिति
एल.एस.बी. (आर.ओ)–भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)
एल.ए.बी. (आर ओ)– पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)
सी.ई. – व्यावसायिक संपदा
सी.एल. – व्यावसायिक भूमि
एल.एस.बी– भूमि विक्रय शाखा(औद्योगिक)
आई.एल. – सांस्थानिक भूमि
ओ.एस.बी. –पुरानी योजना शाखा
एल.पी.सी. – लाइसेंस सपंति सैल
एल.ए. (आवासीय) –पट्टा प्रशासन (आवासीय)

8 vkokl foHkkx

8-1 fnYyh fodkl ikf/kdj.k }kjk वर्ष 1967–68 से आवासीय कार्यकलाप आरंभ किए गए। समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन हेतु स्कीमों को आरंभ किया गया। वर्ष 1969 में पहली पंजीकरण स्कीम शुरु की गई। उसके बाद अब तक 433 अन्य स्कीमें शुरु की गईं।

8-2 fn-fo-ik- vkokl h; Ldhe&2014

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 25034 फ्लैटों के आबंटन के लिए 01/09/2014 को आवासीय स्कीम–2014 की शुरुआत की। 11328 मामलों में से 9023 मामलों के संबंध में कब्जा पत्र जारी किए गए और शेष मामलों की मुख्य औपचारिकताओं को पूरा किए जाने का कार्य चल रहा है।

8-3 ¶ySVksa dk ifjorZu

वर्तमान नीति विषयक दिशा–निर्देशों के अंतर्गत 01.04.2016 से 31.03.2017 तक लीज होल्ड से फ्री होल्ड के लिए परिवर्तन के लिए कुल 3983 हस्तांतरण विलेख दस्तावेज जारी किए गए।

ykduk;d iqje fLFkr ,y-vkb-th- ¶yV

9 i.kkyh foHkkx

9-1-1 fn-fo-i- dk i.kkyh dEI;Vjhdj.k %

खुली निविदा के माध्यम से एक उपयुक्त एजेंसी/कॉन्सोरटियम का चयन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सेवानिवृत महानिदेशक द्वारा एक प्रस्ताव अनुरोध (आर.एफ.पी.) का मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि दि.वि.प्रा. के परियोजना शीर्षक "निर्णय समर्थन एवं ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा (शिकायत निवारण सहित) प्रणाली (सी.एम.एस.) के लिए डिजिटल सेवाएं–कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली" के माधयम से दि. वि. प्रा. के सभी विभागों को कम्प्यूटरीकरण बनाया जा सके, इससे दि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा तथा ऑनलाइन डिजिटल सेवा माध्यम से पब्लिक डीलिंग में पारदर्शिता का संचालन होगा।

9-1-2 ekckby ,Iyhd'ku dk fMtkbu] fodkl vkj dk;kZo;u&

¼d½ bt hfu;fjax ifj;kstukvk dh ekiu iqfLrdkvk dk vkuykbu Hkjus d fy, ekckby ,Iyhd'ku %–

दि.वि.प्रा. में, ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा मापन पुस्तिकाओं (एम.बी.) को ऑनलाइन भरने के लिए एक उपयोगकर्ता अनूकूल मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन को डिज़ाइन एवं विकसित किया गया तथा भरे जाने की प्रक्रिया के दौरान अवस्थिति या स्थान का अक्षांतर और देशांतर माप भी लिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि माप लेने के लिए अभियंता द्वारा वास्तव में स्थल का दौरा किया गया है। मापन पुस्तिका के ऑनलाइन भरे जाने से परियोजना को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।

31 मार्च, 2017 तक 531 इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन माप लिए जा चुके है, और 457 से अधिक बिलों को ऑनलाइन प्रोसेस्ड किया जा चुका है जिनके लिए ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है।

[k½ le;≤ ij QkVk viykM }kjk Hkfe lj{k.k d fy, ekckby ,Iyhd'ku&

इस मोबाइल एप्लीकेशन को दि.वि.प्रा. में डिज़ाइन और विकसित किया गया जिसके माध्यम से भूमि संरक्षण विंग, इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के कर्मचारी समय–समय पर खाली भूमि के फोटोग्राफ अपलोड करते हैं।

इस प्रक्रिया में, अवस्थितियों के अक्षांतर और देशांतर भी इन फोटो के माध्यम से कैप्चर किए जाते है। अतः इससे अतिक्रमण का आसानी से पता लगाया जा सकता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक 31.03.2017 तक, विभिन्न फील्ड अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए फोटो की स्थिति निम्न प्रकार हैः

Ø l-	foHkkx	IykVk dh dy l[;k	viykM fd, x, QkVkxkQ¶l dh l-
1	इंजीनियरिंग	2170	123376
2.	भूमि प्रबंधन	477	14664
3	एम.ओ.आर.	606	9556
4.	उद्यान	719	13237
dqy		**3972**	**161163**

x½ [ky ifjljk vkj lekt lnuk d j[kj[kko l lcf/kr QhMcd ,Iyhd'ku&

दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों और समाज सदनों के रखखाव के बारे में जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है। जनता इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फीडबैक देती है और जनता द्वारा प्राप्त फीडबैक का प्रयोग रखरखाव, पर्यवेक्षण और इनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है।

?k½ fn-fo-i- ¶yVl d fy, vkcfVfr;k l QhMcd yu gr ekckby ,Iyhd'ku&

यह मोबाइल एप्लीकेशन इस प्रकार डिजाइन और विकसित किया गया है जिसके कि आबंटितियों से दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव संबंधी सेवाओं की फीडबैक ली जा सके। जनता के फीडबैक विभिन्न मानदेंडों और सुधारी गई रखरखाव सबंधी सेवाओं के आधार पर लिए जा सकते है तथा जनता से प्राप्त फीडबैक के साथ ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपोजिट के भुगतान को जोड़ा जाता है।

M-½ ekckby ,Il d ek/;e l fn-fo-i- d ikdk dh fuxjkuh lok,&

एक मोबाइल आधारित और वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जिनके द्वारा जनता से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से सेवाओं की निगरानी की जा रही है। जनता साइट की फोटो अपलोड कर सकती है और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाई तुरंत करनी होगी। वे मामले का समाधान होने के बाद पुनःफोटो अपलोड कर सकते हैं।

अब तक विभिन्न विभागों के लिए जनता से 181 फीडबैक प्राप्त किए जा चुके हैं।

01-04-2016 l 31-03-2017 rd

foHkkx	QhMcd
उद्यान	119
सिविल	94
विद्युत	42
कुल	255

9-1-3- Hkfe fjdkM dk fMftVkbt'ku %& सज़रा मैप्स तथा 240 गाँव की सभी अर्जित भूमि के डेटा को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है तथा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

9-1-4 vkuykbu oh-vkb-ih jQjl ekfuVfjx flLVe%& विभिन्न वी.आई.पी. से प्राप्त रेफरेंसेज का निरीक्षण करने के लिए, एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली का विकास किया गया और दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर इसे प्रचालित किया गया।

9-1-5 ck;k&ehfVªd vk/kkfjr mifLFkfr iz.kkyh ½& आधार आधारित उपस्थिति मशीनों को खरीद लिया गया है और मौजूदा उपस्थिति मशीनों को आधार पर आधारित उपस्थिति मशीनों से बदला जायेगा।

9-1-6 fn- fo- iz- dh osclkbV dk iqu% u;k :Ik nsuk ,oa v|ru djuk ½& दि. वि. प्रा. की वेबसाइट को स्टाफ और जनता के लिए अन्य, पहले से ही उपलब्ध एप्लीकेशनों के साथ–साथ अन्य विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशनों के साथ पुनः तैयार और अद्यतन किया गया।

9-1-7 fn- fo- iz- ds ikdksZa] lekt lnu vkSj [kqys LFkkuksa dh vkWuykbu cqfdax ½& 2016–17 के दौरान, हजारों ऑनलाइन बुकिंग की गईं। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

vof/k	cqfdax dk izdkj	cqfdax dh la[;k
01.04.2016 से 31.03.2017	खुले स्थान	2195
	पार्क	3
	समाज सदन	1285

यह ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट wwww.dda.org.in पर सक्रिय है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदक द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्डों के साथ ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

9-1-8 ukxfjd lqfo/kk dsUnz vkSj vkWuykbu yht gksYM ls Qzh&gksYM esa ifjorZu ½ परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन सभी नागरिक सुविधा केन्द्रों में प्रचालित है और ये नागरिक सुविधा केन्द्र आगे कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं। यह एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध हैं। नागरिक सुविधा केन्द्रों और इस एप्लीकेशन के प्रावधान के साथ वर्ष 2016–17 में परिवर्तन आवेदनों के निपटान की दर 72 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है।

9-1-9 vkWuykbu leL;k funku lsok ½ आम जनता की शिकायतों का निपटान करने और आम जनता को ऑनलाइन जवाब भेजने के लिए ऑनलाइन समस्या निदान सेवा नामक वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण निम्नानुसार है :–

vof/k	izkIr f'kdk;rksa dh la[;k	f'kdk;rksa dh la[;k ftuds mÙkj fn, x,@lek/kku fd;k x;k
1.4.16 से 31.03.17	408	निपटाई गई शिकायतें – 131 लंबित शिकायतें – 277

9-1-10 vkWuykbu isa'ku dEI;wVhdj.k ½ पेंशन धारकों को देय राशि का समय पर भुगतान करने और इनकी सेवानिवृत्ति की देय राशि सम्बंधी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले एक एप्लकेशन का विकास किया गया और इसे दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन के 1555 मामलों में कार्रवाई की गई।

9-1-11 ikuh ds fcyksa dk vkWuykbu Hkqxrku ½ जनता से पानी के बिलों का भुगतान ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन को कार्यान्वित किया गया। इस एप्लीकेशन में 21169 ग्राहकों का डाटा उपलब्ध है तथा इस एप्लीकेशन के साथ यूनियन बैंक का पेमेन्ट गेटवे जुड़ा हुआ है।

9-1-12 QkbYk Vªfdax iz.kkyh ½ दि. वि. प्रा. के सभी विभागों में एक फाइल ट्रेकिंग प्रणाली को प्रचालित किया गया जो एक वेब सक्षम एप्लीकेशन है। दि. वि. प्रा. के विभिन्न विभागों में 01.04.16 से 31.03.17 तक सिस्टम पर 41310 फाइलें अपलोड की गई हैं।

9-1-13 fpfdRlk nkok ifriwfrZ iz.kkyh ½ दि. वि. प्रा. के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु एक वेब सक्षम एप्लीकेशन प्रचालन में है। 01.04.16 से 31.03.17 तक, इस एप्लीकेशन के माध्यम से 31360 ओ.पी.डी. और 7964 आई.पी.डी. दावों की प्रतिपूर्ति की गई।

9-1-14 vkokl ,oa Hkwfe lEifRr;ksa gsrq vkWuykbu Hkqxrku dk izko/kku ½ डिजिटल/ऑनलाइन भुगतान के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विभिन्न बैंकों, अर्थात एच.डी.एफ.सी., कार्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आई. सी. आई. सी. आई बैंक इत्यादि, के पेमेंट गेटवे, को दि. वि. प्रा. वेबसाइट के साथ जोड़ा गया तथा जनता आवास एवं भूमि संपत्तियों के लिए आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. और नेट बैंकिग के माध्यम से भुगतान कर सकती है। डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

9-1-15 QkbYkksa dh LdSfuax vkSj fMftVykbts'ku ½ दि. वि. प्रा. के विभिन्न विभागों की फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन का महत्वकाक्षी कार्य सन् 2016 में शुरू किया गया तथा मार्च, 2017 तक लगभग 80,000 फाइलों (1.05 करोड़ पृष्ठ) को स्कैन एवं डिजिटलाइज्ड किया जा चुका है। यह सूचना न्यायालय मामलों के लिए अति उपयोगी होगी और किसी मूल फाइल के गुम हो जाने की स्थिति में यह एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगी। साथ–ही–साथ यह आर.टी.आई. प्रश्नों के उत्तर देने में भी सहायक होगा।

9-1-16 fn-fo-iz- dh Hkwfe ij vfrØe.k ls lEcfU/kr f'kdk;rksa dh eksfuVfjax gsrq vkWuykbu iz.kkyh ½ दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित शिकायतों को वीडियो, आडियों और टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर एक वेब सक्षम एप्लिकेशन को प्रचालन में लाया गया। इस सिस्टम में लगभग 2635 शिकायतों को दर्ज किया गया और सम्बन्धित मुख्य कार्यपालकों द्वारा इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

9-1-17 vfr egRoiw.kZ O;fDr;ksa] lkalnksa vkSj fo/kk;dksa ds lUnHkksZa dh eksfuVfjax djus ds fy, vkWuykbu iz.kkyh ½ इन एप्लिकेशनों के माध्यम से दिल्ली के सांसदों और विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों से जुड़े प्रस्तावों और अनुरोधों पर की गई कार्रवाई की ऑनलाइन मानिटरिंग की जाती है

9-1-18 vkWuykbu dkfeZd f'kdk;r&fuokj.k vkSj eksfuVfjax iz.kkyh ½& दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वेब सक्षम एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित है।

9-1-19 vkWuykbu Hkou uD'kk LohÑfr eksfuVfjax iz.kkyh ½ भवन

नक्शों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए एक वेब सक्षम एप्लिकेशन को विकसित किया गया तथा भवन विभाग द्वारा संस्वीकृतियों को भी ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। भवन नक्शा संस्वीकृति के लिए ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के प्रावधान भी किए गए।

9-1-20 Hkou uD'kk vuefr ekfuVfjax i.kkyh& भवन नक्शा अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु बाह्य एजेंसियों को भेजे गए संदर्भों को ट्रैक करने के लिए एक वेब सक्षम एप्लिकेशन को विकसित किया गया। दर्ज किए गए परियोजना विवरण के आधार पर, अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए इसे बाह्य एजेंसियों को अग्रेषित किया जाता है। किसी विशेष एजेंसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र के एक बार प्राप्त होने पर, प्राप्ति की तिथि दर्ज हो जाती है और विवरण को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता हैं।

9-1-21 ^vkokl* ,ovkoklu vkoVu %& 'आवास' ऑनलाइन एप्लीकेशन, ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत आवंटन, मांग पत्र जारी करने के साथ–साथ भुगतान के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

9-1-22 jkfg.kh vkoklh; Ldhe 1981 ds fy, ^Hkfe* vkj vkuykbu lok,¼ रोहिणी आवासीय स्कीम–1981 के आबंटितियों के लिए मांग पत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए और आबंटितियों द्वारा भुगतान विवरण को देखने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त आबंटिती इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

9-1-23 lrdZrk f'kdk;r ic/ku i.kkyh ¼ विभिन्न स्तरों पर सतर्कता शिकायतों की निगरानी करने के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। सतर्कता शिकायतों के विवरण के एक बार प्रविष्ट होने के बाद, सतर्कता विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा उस शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है।

9-1-24 ljdkjh @v/kljdkjh ,tfl;k dk Hkfe ds vkcVu ds fy, fuxjkuh i.kkyh हेतु एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया जिससे आवेदकों द्वारा आवेदन विवरणों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदन विवरण इन मामलों की कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पास उपलब्ध होते हैं।

9-1-25 fn-fo-ik- dh lMdk ds j[kj[kko ij QhMcd nu के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया। दि.वि.प्रा. सड़कों की निगरानी एवं उनके फीडबैक पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया।

9-1-26 fn-fo-ik- lekt lnuk@ikdk@ftyk dUnk e dM vkj eyck j[kj[kko से संबंधित शिकायतों के लिए एक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया। शिकायतों की निगरानी और उनपर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया।

9-1-27 fn-fo-ik- vkokl; ;kstuk 2017 ds fy, vkonu }kjk आवेदन विवरणों को ऑनलाइन भरने और एनईएफटी/आर.टी.जी.एस./नेटबैकिंग के माध्यम से भुगतान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। आवेदन विवरणों को प्रिंट करने के प्रावधान के साथ–साथ ऑफलाइन आवेदन विवरणों को दर्ज करना, बैंक के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

9-1-28 डाटा कैप्चर करने के लिए तथा सांस्थानिक संपत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर bUVjfDVo fMLikt y yM euk teV ¼vkb- Mh- ,y- vkb-½ सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया। विभिन्न एम. आई. एस. रिपोर्टस को भी विकसित किया गया। बारकोड जेनरेशन, बारकोड, रीडिंग, फाइल लोकेशन, डैशबोर्ड इत्यादि जैसी अन्य कुछ विशेषताओं को भी विकसित किया गया।

9-1-29 okf"kd dk;&fu"iknu eY;kdu fjikVl ¼,-ih-,-vkj-½ ,o ikiVh fjVu lpuk i.kkyh ic/ku ¼ih-vkj-vkb-,l-,e-½ दि.वि.प्रा. के प्रत्येक कर्मचारी की ऑनलाइन भरी गई गोपनीय रिपोर्ट (सी.आर.)/प्रॉपर्टी रिटर्न की निगरानी के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

9-1-30 fn-fo-ik- ds deplkfj;ka fgr fy, LVkQ fgr fuf/k ¼ दि.वि.प्रा. के कार्यरत कर्मचारियों/उनके पारिवारिक सदस्यों एवं आश्रितों के लाभ हेतु विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत "दि.वि.प्रा. स्टॉफ लाभ निधि" के आबंटन हेतु एक वेब सक्षम एप्लीकेशन को विकसित किया गया। निधि का आबंटन प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाता है।

9-1-31 fu"ikfnr dk;l dk nfud fjdkM %& दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों द्वारा उनके प्रतिदिन के कार्य को प्रविष्ट करने के लिए एक वेब सक्षम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया। दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों एवं विभागाध्यक्षों के लिए विभिन्न रिपोटर्स विकसित की गई।

9-1-32 b&VUMfjax ¼ दि.वि.प्रा. में ई–टेन्डरिंग गतिविधियों के लिए दि.वि.प्रा. नवंबर 2013 से एन.आई.सी. के सेन्ट्रल पब प्रोक्यूरमेंट पोर्टल सिस्टम (http://eprocure.gov.in) का उपयोग कर रहा है।

9-1-33 osru&i=d ¼i&jksy½ ¼ दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के वेतन की प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न रिपोर्ट्स एवं वेतन–पर्ची भी जेनरेट की जाती हैं।

9-1-34 b&uhykeh %&

- दि.वि.प्रा. में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए ई–नीलामी को कार्यान्वित किया गया।
- वर्ष 2016–17 के दौरान दि.वि.प्रा. के भूमि निपटान विभाग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से 182 संपत्तियों की नीलामी की :

Ø- l-	uhykeh dk fooj.k	b&uhykeh dh frfFk	b&uhykeh ds fy, ykV dh dqy l[;k	vokM l[;k
1	कियोस्क	11.04.2016 और 12.04.2016	60	16
2	पार्किंग साइट्स	05.07.2016	10	3

3	पार्किंग साइट्स	23.11.2016	16	6
4	मोबाइल टावर साइट्स	23.11.2016	1	1
5	कियोस्क	22.12.2016	35	3
6	मोबाइल टावर साइट्स	01.03.2017	1	
7	पार्किंग साइट्स	01.03.2017	14	

9-2 if'k{k.k foHkkx

9-2-1- दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता का निर्धारण भी करता है। यह विभाग अन्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलग–अलग अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त नामों पर कार्रवाई करता है।

9-2-2- वर्तमान वर्ष 2016–17 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है और साथ ही इन–हाउस संचालित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इत्यादि के लिए एवं आई.एस.टी.एम./यू.टी.सी.एस. जैसे व्यावसायिक संस्थानों/सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों की भागीदारी के लिए उन्हें नामांकित भी करता है।

Ø- l-	fooj.k	o"kokj	dk;Øeksa dh l[;k	ifrHkkfx;ksa dh l[;k
1.	आयोजित किए गए आतंरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2014-15 2015-16 2016-17	76 49 53	4191 1636 1269
2.	बाहर की एजेंसी द्वारा आयोजित किए गए बाहरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	2014-15 2015-16 2016-17	10 10 4	163 154 32

पेंशन सॉफ्टवेयर, वित्तीय शिक्षा, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, आर.टी.आई. 2005, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन एवं एफआर/एस.आर. के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

9.2.3. प्रशिक्षण संस्थान ने पदोन्नत किए गए नए निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया है। संस्थान ने वर्ष के दौरान 2015 बैच के परिवीक्षाधीन 7 आई.ए.एस. के लिए 5 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया।

9.2.4 प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने शहरी विकास मंत्रालय की कौशल विकास योजना के अंतर्गत मालियों को कुशल कामगर बनाने हेतु उनके पुनः कौशल विकास के लिए तीन ग्रुपों में तीस दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया।

10 [ky foHkkx

10-1 ifjp;

दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रावधानों के अनुसार दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों (जोनों) में खेल परिसरों का विकास किया है। पहला खेल परिसर सीरी फोर्ट 1989 में खोला गया था और उसके बाद चौदह अन्य परिसरों तथा दो गोल्फ कोर्सों का विकास किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरी फोर्ट में स्क्वैश और बैडमिन्टन के लिए यमुना खेल परिसर में तीरन्दाजी और टेबल टेनिस के लिए स्टेडियमों का विकास किया। इन दोनों स्टेडियमों का उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए किया जा रहा है और ये स्टेडियम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध है।

यद्यपि ये खेल परिसर सदस्यता आधारित होते हैं, जिनमें केवल खेलने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करके इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों, खेल संघों और एसोसिएशनों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।

खेल परिसर विशेष तौर से खेल संबंधित गतिविधियों एवं सुविधाओं के लिए समर्पित हैं जिनमें 20 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10-2 [kydn vk/kkfjd ljpuk

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना निम्न प्रकार है:–

खेल परिसर	:	15 (दक्षिण में 5, पूर्व में 4 और उत्तर एवं पश्चिम में तीन–तीन)
लघु खेल परिसर	:	3 (दक्षिण में मुनीरका, पूर्व में कांति नगर और पश्चिम में प्रताप नगर)
तरणताल (स्वीमिंग पूल)	:	17 (पूरे वर्ष प्रयोग में आने वाले तीन पूल सहित)
खेल परिसरों में फिटनेस सेंटर	:	18 (इनमें से 1 विशेष रूप से महिलाओं के लिए)
हरित क्षेत्रों में मल्टी जिम	:	21 (इनमें से 1 विशेष रूप से महिलाओं के लिए)
लघु फुटबाल मैदान	:	10 (हरित क्षेत्रों में 2 और खेल परिसरों में 8)
गोल्फ कोर्स	:	2 कुतुब (18 होल) और भलस्वा (9 होल)
लघु गोल्फ कोर्स	:	1 (सीरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	:	3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

10-3 lnL;rk dh fLFkfr@mi;kfxrk

31 मार्च 2017 तक, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में विभिन्न श्रेणियों में सदस्यों की कुल संख्या 61309 थी। इनमें कैजुअल सदस्य, अतिथि आदि शामिल नहीं हैं। लगभग 65000 व्यक्ति प्रतिदिन आधार पर इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल संघों द्वारा प्रशिक्षण एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

10-4 [kydn xfrfof/k;k

1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक खेलकूद विंग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया:–

ifr;kfxrk,¡	fnukd	[ky ifjlj dk uke	fVIif.k;k
vkb-ch-lh&2	23.04.2016	एस.बी.एस.	11
प्रेशियस गोल्फ कप	10.05.2016.	क्यू.जी.सी.	-
मानसून कप	03.07.2016	बी.जी.सी.	24
डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम गोल्फ टूनामेंट	15.10.2016	क्यू.जी.सी.	-
रिलायंस फाउंडेशन फुटबॉल टूर्नामेंट	18 से 21, 25 से 28, अक्टूबर 2016	एन.एस.एस.सी	22 टीम
एशियन बिजनेस स्कूल	22 एवं 23, नवंबर 2016	एन.एस.एस.सी	9 टीम
टाइम ऑफ स्पोटर्स –एडवांस सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए फुटबॉल, बॉलीबॉल, एवं टेनिस	17.12.2016	एन.एस.एस.सी	250
इंटर क्लब ताइक्वांडो चैम्पियनशिप	08 जनवरी 2017	एस.एस.सी.	210
प्रीमियर बैडमिंटन लीग	09 से 14 जनवरी 2017	एस.बी.एस.	6 टीम
स्पोर्ट्स गाला	19 से 21 जनवरी2017	वी.के.एस.सी.	100
सुपर फाइट लीग	14 जनवरी से 25 फरवरी 2017	एस.बी.एस.	8 टीमें 96 फाइटर
एल.जी. कप 2017	08 से 12 फरवरी 2017	क्यू.जी.एस.	---

लड़कों और लड़कियों के लिए खो–खो टूर्नामेंट	27 फरवरी से 4 मार्च 2017	आर.एस.सी.	---
पांचवां वी.सी. कप टूर्नामेंट	4 एवं 5 मार्च 2017	बी.जी.सी.	160
योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन	27.03.2017 से 02.04.2017	एस.बी.एस.	25 देशों से 275 खिलाड़ी
दिल्ली अमैचर रेसलिंग एसोसिएशन (रजि.) (रेसलिंग)	18 मार्च 2017	एन.एस.एस.सी.	350
बी.एस.ई.एस. (क्रिकेट)	18, 19, 25 & 26 मार्च 2017	एन.एस.एस.सी.	150

10-5 [ky dn lekjkg

खेलकूद समारोह सदस्यों और उनके परिवारों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सभी परिसरों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। सभी आयु वर्गों में टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स आदि जैसे व्यक्तिगत खेलों के टूर्नामेंटो को आयोजन किया जाता है।

उसके साथ ही प्रत्येक परिसर समारोह के भाग के रूप में विद्यालय अथवा राज्य स्तरीय टीम–खेलों हेतु आमंत्रण टूर्नामेंटों का आयोजन भी करता है और विजेता खिलाड़ी दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित किए जाने वाले आमंत्रण टूर्नामेंटों में भाग लेते हैं।

10-6 dkfpx

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जेसे–क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडो इत्यादि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों (कोचों) द्वारा 156 से भी अधिक व्यक्तिगत कोचिंग योजनाओं को चलाया जा रहा है और लगभग 8000 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। विभिन्न खेलों में समाज के कमजोर वर्गों के लगभग 270 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन कोचिंग – विद्यालयों/महाविद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी खेल परिसरों में विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैंपों (शिविरों) का आयोजन भी किया गया।

10-7 xkYQ dk ikRlkgu

कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है जिसने व्यस्त समय में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेलने के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की। भलस्वा में एक अन्य 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स ने गोल्फ के खेल को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली वासियों के लिए सुलभ बनाया।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में निर्मित मिनी गोल्फ कोर्स भी बहुत लोकप्रिय है और यह अधिक उपयोग किया जाने वाला गोल्फ कोर्स है।

सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स में गोल्फ ड्राइविंग रेंज का उपयोग शौकीनों, नौसिखियों और पेशवरों द्वारा अपने खेल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

10-8 xkYQ dkfpx

वर्ष के दौरान कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा एक कोचिंग कैंप आयोजित किया गया।

xkYQ VukeV

कुतुब गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजित विभिन्न आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट्स का आयोजन करता है। गोल्फ के सीजन में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंटों को आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा उसके सदस्यों के लिए दो मेडल राउंड आयोजित किए गए।

10-9 [ky dn ikRlkgu ;kstuk,

दि.वि.प्रा. एथलैटिक्स, फुटबॉल, जिमनास्टिक तथा तीरंदाजी की चार खेलकूद प्रोत्साहन योजनाएं जमीनी स्तर पर इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहा है। ये योजनाएं पूरी तरह से दि.वि.प्रा. द्वारा सहायता प्राप्त हैं और विशेषज्ञ सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती हैं।

10-10 ,FkyfVDl ikRlkgu ;kstuk ¼,-ih-,l-½

इस योजना को वर्ष 2001 से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वर्तमान में 14 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से कम आयु समूह के 33 एथलीटस (22 लड़के और 11 लड़कियां), अपने संबंधित इवेन्ट्स (खेलों) का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योजनाओं के प्रशिक्षुओं ने विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और दि.वि.प्रा. के लिए ख्याति अर्जित की। कुछ उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- दिनांक 03.05.2016 से 05.05.2016 तक बैंगलौर में आयोजित नैशनल जूनियर फैडरेशन कप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।
- दिनांक 18.06.2016 से 19.06.2016 तक दिल्ली में आयोजित दिल्ली स्टेट एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते।
- दिनांक 28.06.2016 से 02.07.2016 तक हैदराबाद में आयोजित नैशनल सीनियर इंटर स्टेट एथलैटिक्स चैम्पियनशिप 2016 में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 2 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 11.07.2016 से 18.07.2016 तक ट्रैबजन, तुर्की में

आयोजित वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 1 कांस्य पदक जीता।

- दिनांक 22.08.2016 से 25.08.2016 तक दिल्ली में आयोजित समर एथलैटिक्स मीट 2016 में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 16 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 02.09.2016 से 04.09.2016 तक दिल्ली में आयोजित दिल्ली एथलैटिक्स चैम्पियनशिप 2016 में, दि.वि.प्रा. एथलीट ने 20 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 10.11.2016 से 14.11.2016 तक कोयम्बटूर में आयोजित नैशनल जूनियर एथलैटिक्स चैम्पियनशिप 2016 में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।
- दिनांक 22.11.2016 से 26.11.2016 तक दिल्ली में आयोजित इंटर जोनल दिल्ली स्कूल चैम्पियनिशन में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 19 स्वर्ण, 10 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 26.12.2016 से 30.12.2016 तक वडोदरा में आयोजित सी.बी.एस.ई. नैशनल एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते।
- दिनांक 27.01.2017 से 28.01.2017 तक दिल्ली में आयोजित वाई.एम.सी.ए. एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 20 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते।

10-11 QVcky ikRlkgu ;kstuk ¼,Qih,l½%

यह योजना 2002 से सफलतापूर्वक चल रही है। नए प्रशिक्षुओं के लिए 19 एवं 20 नवंबर 2016 को सीरीफोर्ट खेल परिसर तथा 26 एवं 27 नवंबर, 2016 को यमुना खेल परिसर में खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रिजर्व प्रशिक्षुओं सहित कुल 45 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया और 54 पुराने प्रशिक्षुओं को रखा गया। 45 प्रशिक्षु सीरी फोर्ट खेल परिसर में और 30 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10-12 ;kstuk dk vrxZr izf'k{kvksa dh e[; miyfC/k;k fuEu izdkj gS%&

- दो प्रशिक्षुओं ने मई, 2016 में जम्मू–कश्मीर में आयोजित अंडर–17 स्टेट नेशनल में भाग लिया।
- तीन प्रशिक्षुओं ने मई, 2016 में दिल्ली में आयोजित अंडर–14 स्कूल नेशनल्स में भाग लिया।
- दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षु समर्थ सुधेरा ने मई 2016 में केनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंडर–13 इंडियन स्कूल इंटरनेशनल कॉम्पीटीशन में भाग लिया।
- दि.वि.प्रा. एफ.पी.एस. ने दिल्ली में मई, 2016 में आयोजित डी.एस.ए. लीग 2016 'ए' में भाग लिया।
- श्री राजकुमार का चयन 20.05.2016 से 12.06.2016 तक फ्रांस के एफ.ई.एम.ई.टी.जेड क्लब से जुड़ने के लिए इंडियन टेलेंट 'स्कॉउटिंग ग्रुप' द्वारा किया गया।
- दो प्रशिक्षुओं का चयन नवंबर 2016 में अंडमान में अंडर–17 दिल्ली स्कूल नेशनल का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया।
- तीन प्रशिक्षुओं का चयन सागर (मध्य प्रदेश) में 29.11.2016 से 05.12.2016 तक अंडर–14 दिल्ली एस.जी.एफ.आई. नैशनल्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया।
- दि.वि.प्रा. एफ.पी.एस. ने नवंबर 2016 से जनवरी 2017 तक डी.एस.ए. लीग 'ए' में भाग लिया।
- चार प्रशिक्षुओं का चयन 06.12.2016 से 10.12.2016 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित अंडर–19 दिल्ली स्कूल नैशनल्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया।

10-13 ftEukfLVd izkRlkgu ;kstuk ¼th-ih-,l-½%

दिल्ली विकास प्राधिकरण जिमनास्टिक्स प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एम.ए.जी./डब्ल्यू.ए.जी. में जिमनास्ट, लड़के और लड़कियों का प्रशिक्षण इंडोर जिमनास्टिक्स हॉल, यमुना खेल परिसर में 5 दिसंबर, 2014 से शुरू किया गया। जिमनास्ट को प्रशिक्षण देने के लिए एक तकनीकी सलाहकार, 1 मुख्य कोच और 3 अन्य कोचों को नियुक्त किया गया। वर्तमान में 32 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10-14 ;kstuk dk vrxZr izf'k{kvksa dh e[; miyfC/k;k fuEu izdkj gS%&

- 20.12.2016 से 22.12.2016 तक इंदिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम, दिल्ली में आयोजित 56वें दिल्ली स्टेट जिमनास्टिक्स चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. प्रशिक्षुओं ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते।
- दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षु सिद्धि और लक्ष्य शर्मा ने 11.11.2016 से 14.11.2016 तक इलाहाबाद में आयोजित सी.बी.एस.ई. ऑल इंडिया जिमनास्टिक कम्पीटीशन में भाग लिया। 05.01.2017 से 10.01.2017 तक सोनीपत, हरियाणा में आयोजित नैशनल स्कूल गेम्स जिमनास्टिक्स कम्पीटीशन के लिए उनका चयन किया गया तथा उन्होंने इस कम्पीटीशन की तैयारी के लिए 5 सप्ताह के दिल्ली स्टेट जिमनास्टिक्स कोचिंग कैंप में भाग लिया।
- दि.वि.प्रा. की प्रशिक्षु हर्षिता भारती ने 01.12.2016 से 02.12.2016 तक इलाहाबाद में आयोजित 29वें नैशनल रिथमिक जिमनास्टिक्स कम्पीटीशन में भाग लिया और रिबन इवेंट में प्रथम स्थान पर रहीं।

10-15 rhjnkth izkRlkgu ;kstuk

दि.वि.प्रा. तीरंदाजी प्रोत्साहन योजना को जुलाई 2015 से आरंभ किया गया। वर्तमान में 16 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10-16 ;kstuk ds vUrxZr izf'k{kkvksa dh eq[; miyfC/k;ka fuEu izdkj gSa&

- सितम्बर, 2016 में ताइपे, चीन में प्रायोजित एशिया कप स्टेज–3 में दि.वि.प्रा. की टीम ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता।
- दिनांक 11.11.2016 से 16.11.2016 तक तिरूपति (आंध्र प्रदेश) में आयोजित मिनी नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने दो कांस्य पदक जीते
- दिनांक 15.2.2017 से 19.02.2017 तक मछलीपटनम की कृष्णा यूनिवर्सिटी में आयोजित आल इन्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 1 स्वर्ण पदक जीता।
- दिनांक 20.02.2017 से 25.02.2017 तक सतारा (महाराष्ट्र) में आयोजित जूनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने एक रजत और 1 कांस्य पदक जीता।
- दिनांक 28.2.2017 से 04.03.2017 तक दि.वि.प्रा. यमुना खेल परिसर, दिल्ली में आयोजित दिल्ली स्टेट आर्चरी चैम्पियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 16 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य पदक जीते और ओवर ऑल चैम्पियनशिप ट्राफी भी जीती।
- फरवरी, 2017 में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप स्टेज–2 में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 1 स्वर्ण पदक जीता।
- दिनांक 17.3.2017 से 22.3.2017 तक भुवनेश्वर में आयोजित 37वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
- दिनांक 26.3.2017 से 30.3.2017 तक फरीदाबाद में आयोजित सीनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में दि.वि.प्रा. की टीम ने स्वर्ण पदक जीता।

10-17 fodkl dk;Z

सभी परिसरों में सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य अनवरत चलता रहता है। इसके अतिरिक्त सभी खेल परिसरों में पूंजीगत प्रकृति के मुख्य सुधार कार्य भी किए गए। परिसरों में प्रयोगकर्ताओं द्वारा कार्ड का उपयोग करके कैशलेस लेन–देन की योजना आरंभ की गई।

lhjh QksVZ [ksy ifjlj

11 foÙk ,oa ys[kk foHkkx

11-1 ctV vuHkkx

यह अनुभाग प्राधिकरण के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केन्द्रीय लेखा इकाइयों/कार्यालयों को निधि जारी करने का कार्य करता है। बजटीय विनिर्धारण के सन्दर्भ में विभिन्न शीर्षों/परियोजनाओं के व्यय पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2017 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया।

(i) वित्त वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं:–

izkfIr vkadMs djksM ₹ esa

o"kZ	ctV vuqeku	la'kksf/kr ctV vuqeku
2015-16	8969.93	6472.36
2016-17	8530.18	3384.61
2017-18	6800.90	....

Hkqxrku vkadMs djksM ₹ esa

o"kZ	ctV vuqeku	la'kksf/kr ctV vuqeku
2015-16	8934.96	6423.95
2016-17	8485.13	5201.99
2017-18	8415.48	.....

(ii) 31.3.2017 तक केन्द्रीय लेखा इकाइयों/फ्लाईओवर इत्यादि को जारी की गई निधि। उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े (आंकड़े करोड़ रुपये में)

	2014-15	2015-16	2016-17
dk;Z ¼LVkWj lfgr½	1919.10	2733.42	1937.86
¶ykbZvksoj ¼;w-Mh-,Q esa lh½	47.50	18.75	2.50
jk"VªeaMy [ksy & 2010	54.51	16.00	22.50
ou@vuqxg jkf'k	739.99	709.36	807.99
¼d½ vU; foHkkxksa dks tkjh dh xbZ fuf/k ¼'kgjh fodkl fuf/k esa ls½			
डी.यू.ए.सी./डी.यू.ए.आई.	4.74	--	3.00
उत्तर रेलवे	--	--	0.00
लोक निर्माण विभाग	--	--	0.00
¼[k½ ut/y [kkrk&2 esa ls			
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)	313.50	313.50	13.50
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	--	--	-
dqy	**3079.34**	**3791.03**	**2787.35**

11-2 ys[kk ¼eq[;½

(क) मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों, जिनमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल है, के संकलन का कार्य करता है, जो निम्नानुसार है:–

d- ut/y [kkrk&1

इसमें वर्ष 1957 मे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिल्ली सुधार न्यास से प्राप्त पुरानी नजूल सम्पदाओं से सम्बन्धित लेन–देन शामिल है।

[k- ut/y [kkrk&2

इसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की योजनाओं से सम्बन्धित लेन देन शामिल है।

x- lkekU; fodkl [kkrk

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए आवास, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, जिला केन्द्रों आदि में व्यावसायिक कार्यकलापों और प्राधिकरण की भूमि से सम्बन्धित लेन–देन शामिल है और राशि का भुगतान इस खाते के राजस्व से किया जाता है।

11-3 ys[kk dh fLFkfr

(क) दि.वि.प्रा. की वर्ष 2015–16 की वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16.12.2016 को संसद में प्रस्तुत की गई और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई। वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा भी तैयार किया जा रहा है।

(ख) अगस्त, 2017 तक के मासिक खातों का संकलन किया गया।

fiNys rhu o"kksZa ds laca/k esa izkfIr ,oa 0;; dk fooj.k ¼vkdMs djksM #i;s esa½

ys[kk 'kh"kZ	izkfIr;k			Hkqxrku		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
नजूल–1	20.33	14.24	4.31	28.55	17.81	14.70
नजूल–2	2925.75	2130.95	2480.73	2433.66	2318.46	2372.04
सामान्य विकास खाता	1377.78	2104.89	583.17	1583.52	2737.56	1849.97
dqy	**4323.86**	**4250.08**	**3068.21**	**4045.73**	**5073.83**	**4236.71**

¼[k½ vf/k'ks"k fuf/k dk fuos'k

प्राधिकरण के वार्षिक खातों के संकलन के अतिरिक्त, लेखा शाखा राशि के निवेश का कार्य भी करती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान निवेश की स्थिति निम्नलिखित है:–

en	31.03.2015 dk	31.03.2016 dk	31.03.2017 dk
lkekU; fuo'k			
क) नजूल–II	12751.00	11169.51	9500.19
ख) सामान्य विकास खाता	3443.24	4965.51	2534.43
ग) शहरी विकास निधि	3602.72	3944.00	4025.99
dqy	**19796.96**	**20079.02**	**16060.61**
fu/kkfjr fuf/k d lc/k fd;k x;k o"kokj fuo'k			
पेंशन फंड ट्रस्ट	820.84	111.60	511.55
उपदान निधि ट्रस्ट	134.95	116.81	05.00
सामान्य भविष्य निधि	233.82	263.90	365.62
अवकाश नकदीकरण निधि	27.40	263.35	70.25
सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा योजना	110.45	76.35	282.78
dqy	**1327.46**	**832.01**	**1235.20**

11.4 fun'kd ¼foÙk½

निदेशक (वित्त) अभियंता शाखा से प्राप्त 05 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले प्रारंभिक अनुमान और संशोधित प्रारंभिक अनुमान की वित्तीय संविदा हेतु उत्तरदायी हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, इंजीनियरिंग परियोजनाओं हेतु विभिन्न परियोजनाओं और विविध मामलों हेतु संशोधित वित्तीय शक्तियों (आर.एफ.पी.) के वित्तीय पुनरीक्षण की जांच का कार्य भी निदेशक (वित्त) द्वारा किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय सहमति का विवरण निम्नलिखित है–

वर्ष 2016–17 के दौरान योजनाओं का वित्तीय अनुमोदन (आंकड़े करोड़ ₹ में)

en	2014-15	2015-16	2016-17
विकाय कार्य के लिए वित्तीय सहमति	319.95	1060.69	707.31
आवासीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहमति	5792.11	22.11	1753.85
कार्यालय बिल्डिंग के लिए वित्तीय सहमति	--	--	7.61
dqy	**6112.06**	**1082.80**	**2468.77**

11.5 dk;Z y[kkijh{kk d{k

कार्य लेखापरीक्षा कक्ष सभी सात जोनों के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किये गए वाउचरों की बाद में की जाने वाली लेखा परीक्षा का कार्य प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय सहमति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों की संवीक्षा, शहरी विकास निधि और पेंशन से संबंधित कार्य करता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान उच्च प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए 32 मध्यस्थता के मामले, 11 डब्ल्यू.ए.बी. मदों/टेंडर मामलों, 35 पी.ई/आर.पी.ई. मामलों, 6359 पेंशन और 141 अन्य विविध मामलों पर कार्रवाई की गई।

11-6 fn-fo-ik- dk i'ku d{k

पेंशन कक्ष पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मामलों का कार्य करता है जो निम्नलिखित हैं–

i) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन लाभ को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा परिकलित किया जा रहा है, जिसे संशोधित किया गया है तथा जो विकास सदन के पेंशन कक्ष द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर परिचालित किया जा रहा है।

ii) मुख्यालय में 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत पेंशन संबंधी लाभ का परिकलन, कम्प्यूटरीकृत पी.पी.ओ. जारी करना तथा बैंक एडवाइस का कार्य किया गया। जोनल स्तर पर पेंशन हेतु लगभग 80 प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण किया गया।

iii) इस वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान पेंशन परिकलन के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

iv) पेंशनधारकों तथा जोनल कार्यालयों के उपयोग हेतु अद्यतन जानकारी अंग्रेजी भाषा में अपलोड की गई। हिन्दी भाषा के लिए हिन्दी विभाग में परिपत्र भेज दिया गया है।

v) चिकित्सा सहित नयी पेंशन योजना की जानकारी हेतु कार्यशाला का प्रबंध विकास सदन के जोनल कार्यालयों तथा जोनल केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालयों में किया गया।

fuiVk, x, ekeys ,o fd;k x;k 0;;%&

o"k	fuiVk, x, i'ku ekeys tkjh fd, x, ih-ih-vk-	fd;k x;k dqy 0;; ¼djkM #-e½
2016-17	1528	428.34

11-7 vkrfjd fujh{k.k vuHkkx

विभिन्न लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों के आंतरिक विभागीय निरीक्षण के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का गठन किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:–

bdkb;k	y[kk ijh{kk vk;kftr djus dk y{;			miyfC/k;k ¼vk;kftr dh xbZ y[kk ijh{kk½		
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
मुख्यालय	34	48	32	32	27	30
क्षेत्रीय	67	62	68	66	40	62
dqy	101	110	100	98	67	92

11-8 ckg; y[kk&ijh{kk d{k dk dk;Z

दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा पैरा का शहरी विकास मंत्रालय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के साथ निम्नानुसार समन्वय कार्य किया गया :

1. पी.ए.सी.वी. रिपोर्ट/पैरा (जांच के लिए पी.ए.सी. द्वारा चुने गए सी.ए.जी. पैरा)।
2. पी.एस.सी. (संसदीय स्थायी समिति) रिपोर्ट/पैरा
3. सी.ए.जी. पैरा
4. मसौदा लेखा परीक्षा पैरा
5. तथ्यों का विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धि को दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

पैरा की श्रेणियां	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या
	2014-15	2015-16	2016-17
पी.ए.सी. पैरा	---	1	2
संसदीय स्थायी समिति	---	---	---
सी.ए.जी. पैरा	12	--	--
ड्राफ्ट पैरा	02	--	1
तथ्यों का विवरण (एस.ओ.एफ.)	04	--	--
कुल	**18**	**01**	**03**

11-9 fpfdRlk lqfo/kk,¡

fpfdRlk lqfo/kkvksa dk ljyhdj.k

(क) कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए विकास सदन के स्वागत कक्ष में ओ.पी.डी. क्लेम की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडों काउंटर खोला गया है जो 3 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में उनके क्लेम की राशि सीधे ही जमा करा देता है।

(ख) इनडोर चिकित्सा दावे की प्राप्ति को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और यह सिस्टम मेडिकल काउंटर पर प्रचालन में है।

(ग) विशेष बीमारियों तथा आई.पी.डी. भुगतान की संपूर्ण जानकारी और पे–ऑर्डर वाली फाइलों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेनरेट किया गया।

(घ) वर्ष 2016–17 के दौरान कार्यरत स्टाफ और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के 2462 बॉयोमीट्रिक चिकित्सा कार्ड बनाए गए।

(ड.) आकस्मिक दुर्घटना और हार्टअटैक मामलों के लिए उपचार हेतु कैशलेस सुविधा हेतु 16 अस्पतालों का पैनल बनाया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान चिकित्सा व्यय

	iklr nkok dh la[;k	o"kZ 2016&17 ds nkSjku fd;k x;k O;; ¼vkadM+s djksM+ #- esa½
आई.पी.डी.	2512	16.18
ओ.पी.डी.	17878	16.60
विशेष बीमारी/पोस्ट ऑपरेटिव	2421	2.79
dqy		**35.57**

11-10 lEifRr dj d{k

यह अनुभाग दि.न.नि. के साथ दि.वि.प्रा. की सम्पत्तियों के संबंध में संपत्ति कर के निपटारे का कार्य करता है। दि.वि.प्रा. की नियंत्रणाधीन संपत्तियों के लिए सम्पत्ति कर का कार्य भारतीय संविधान के संगत उपबन्धों, डीएमसी अधिनियम तथा शहरी विकास मंत्रालय के 2009 एवं 2015 के कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत किया जाता है।

दि.वि.प्रा. दिनांक 8.7.2009 को दि.न.नि. के आयुक्तों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमित रूप से अपनी संपत्तियों के लिए सेवा प्रभार का भुगतान कर रहा है।

इसी बीच, दिनांक 10.11.2015 और 30.12.2015 को भी शहरी विकास मंत्रालय में बैठकें आयोजित की गईं। शहरी विकास मंत्रालय के आदेशों के अनुसार वित्त वर्ष 2016–17 हेतु दिल्ली नगर निगमों को 6.48 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया और दिल्ली नगर निगमों का कुछ भी बकाया नहीं है।

11-11 Hkwfe ykxr fu/kkZj.k 'kk[kk

भूमि लागत निर्धारण शाखा का मुख्य कार्य विकासशील/विकसित क्षेत्रों/परियोजनाओं के संबंध में आवासीय प्लॉटों/फ्लैटों का आवंटन करने के लिए वार्षिक पूर्व निर्धारित दरों को निर्धारित करना है। अन्य मामलों जैसे क्षतिपूर्ति प्रभारों का निर्धारण, व्यावसायिक, औद्योगिक सम्पत्तियों के संबंध में परिवर्तन प्रभारों के परिकलन के लिए बाजार दरों का निर्धारण, दुरूपयोग प्रभारों पेट्रोल पम्प इत्यादि के संबंध में लाइसेंस शुल्क का निर्धारण को भी निपटाया जाता है। वित्त वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित हैः–

निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों/अन्य प्रभारों के निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किये गयेः–

i) वर्ष 2016–17 के लिए रोहिणी फेज–चार एवं पांच नरेला एवं टीकरी कलां के लिए पूर्व निर्धारित दरें (पी.डी.आर.)।

ii) वर्ष 2016–17 के लिए दिल्ली के विभिन्न जोन में प्लाट और फ्लैटों के आवंटन हेतु विकसित क्षेत्र पूर्व निर्धारित दरें।

iii) वर्ष 2016–17 के लिए बहुस्तरीय पार्किंग सहित व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉटों हेतु लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के लिए परिवर्तन प्रभार।

iv) वर्ष 2016–17 के लिए दुरूपयोग प्रभार।

v) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के क्षेत्रों में सांस्थानिक भूमि के लिए प्राशुल्क की दरें।

vi) वर्ष 2016–17 हेतु पेट्रोल पम्प स्थलों के लिए आरक्षित लाइसेंस शुल्क।

vii) वर्ष 2016–17 हेतु क्षतिपूर्ति प्रभार

viii) वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ऊपर उल्लिखित दरों को निकालने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11-12 vkokl foÙk 'kk[kk

आवास लेखा विंग फ्लैटों/निर्मित दुकानों के आबंटन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यकलापों से संबंधित हैः–

1. वित्तीय सहमति के लिए फ्लैटों/निर्मित दुकानों के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमान/संशोधित प्रारंभिक अनुमानों की जांच करना।

2. विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर लागू किए जाने के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दर का निर्धारण।

3. भूमि के लिए अनुमोदित पी.ए.आर. और पी.डी.आर. (पूर्व निर्धारित दरों) के आधार पर फ्लैटों की लागत निर्धारण के लिए पृथक मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

4. फ्लैटों और निर्मित दुकनों की प्राप्तियों के लेखों का रखरखाव तथा उनकी वसूली करना।

d- o"k 2016&17 ds nkSjku eq[; dk;Zdyki%&

प्रारंभिक अनुमान/संशोधित प्रारंभिक अनुमान की जांच करना।

रोहिणी सैक्टर 19 एवं 26 में आवासों के निर्माण हेतु दो प्रारंभिक अनुमानों के लिए 356.15 करोड़ रुपयें की वित्तीय सहमति प्रदान की गई।

¼[k½ ykxr fu/kkZj.k %

(क) आवास वित्त शाखा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों की लागत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाली कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष एजेंडे को प्रस्तुत करने का कार्य करती है।

प्राधिकरण ने अपनी 18.11.2016 और 10.02.2017 को आयोजित बैठक में मद सं. 108/2016 एवं 04/2017 द्वारा क्रमशः 1 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक तथा 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दर (पी.ए.आर.) को अनुमोदित किया।

(ख) आगामी दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2017 के 12,916 फ्लैटों की अनंतिम लागत निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान 127 पृथक फ्लैटों के लागत–निर्धारण के कार्य को भी अंतिम रूप दिया गया।

¼x½ vU; miyfC/k;k

(क) फ्लैटों/दुकानों हेतु लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु ''बेबाकी प्रमाण–पत्र'' की कार्रवाई निम्नानुसार की गई–

o"k	rS;kj fd, x, vukifŸk iek.ki=
2014-15	11,083
2015-16	10,779
2016-17	9706

¼?k½

¼I½ o"k ds nkSjku vkokl foÙk dh egRoiw.kZ miyfC/k;k¡&

जनता के लिए सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए मामलों के तीव्र/न्याय पूर्ण निपटान हेतु की गई विशेष पहल/उपाय निम्नलिखित हैः–

¼d½ dk;Z iz.kkyh esa lekU; lq/kkj%&

1. लम्बित मामलों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग।

2. आवास लेखा विंग में एन.डी.सी/बकाया राशि से सम्बन्धित जानकारी के मामलों को फीफो प्रणाली के अंतर्गत निपटाया गया।

¼II½ o"k 2017&18 ds fy, u;s igy gsrq y{;@iLrko

¼d½ iR;Ùkj nsus dh izfØ;k esa lq/kkj

1. विभिन्न स्तरों पर मामलों में निपटान हेतु मानक समय के निर्धारण द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यकलापों की बेंच मार्क्रिंग करना।

2. चूककर्ता नोटिस जारी करके किराया खरीद आबंटितियों से बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

¼[k½ ifCyd bUVjQsl lq/kkj%

1. ''बेबाकी प्रमाण–पत्र'' ऑनलाइन जारी करना।

;euk tSo&fofo/;rk ikdZ

12 dkfe|d ,o| if'k{k.k foHkkx

12-1 dkfe|d foHkkx

मानव संसाधन दि.वि.प्रा. की संगठन संबंधी अमूल्य निधि है। विद्यमान जॉब–प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों के निपटान करने, अनुशासन बनाए रखने और प्रबंधन के लिए पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्मिक विभाग दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सेवा मामलों पर कार्यवाई करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त हुई :–

12-2 njnf'kZrk] fe'ku] mí"; ,o dk;Z

मानव संसाधनों का सर्वोतम उपयोग करके आम जनता को सेवाएं प्रदान करना अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता पैदा करना, नेतृत्व गुणों और व्यवहार की पहचान करने के लिए जांच एवं प्रति–जांच करना, उनकी निगरानी करना, पुरस्कृत करना और कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करना कार्मिक विभाग के कार्य हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:–

1. समुचित भर्ती और पदोन्नति द्वारा मानव संसाधनों को उपलब्ध करना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सेवा के सभी मामलों में आरक्षित श्रेणियां और अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करना।
2. मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना।
3. संवर्ग नियोजन अर्थात संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न संवर्ग में पदों की समीक्षा करना, पुनः संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग)।
4. कर्मचारी की पदोन्नति एवं प्रगति करना।
5. स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवानिवृत्ति–देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती करना।

o"kZ 2016&17 dsa nkSjku deZpkfj;ksa dh l[;k@dh xbZ inksUufr;k] ,-lh-ih@,e-,-lh-ih- vkfn dk fooj.k fuEukuqlkj gS %&

12-3 fnukad 31-3-2017 dks deZpkfj;ksa dh fLFkfr

lewg	d	[k	x	dqy	odZ pktZ
				(नियमित कर्मचारी)	(नियमित)
	408	2061	2379	4848	6053

12-4 dh xbZ inksUufr;k

lewg	d	[k	x	dqy
	206	410	105	721

प्रदान की गई ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी

lewg	d	[k	x	dqy
	18	301	384	703

12-5 ntZ dh xbZ okf"kZd dk;Z&fu"iknu fjiksVZ

lewg	d	[k	x	dqy
	491	3308	1691	5490

12-6 vpy lEifÙk fjVuZ

lewg	d	[k	x	dqy
	352	1081	-------	1433

12-7 inku fd;k x;k lrD'kZu xzsM@uku lrD'kZu xzsM

lewg	d	[k	x	dqy
	02	04	18	24

12-8 fjiksVZ/khu vof/k dsa nkSjku fuiVk, x, lsokfuo`fÙk@ eR;q ds ekeys

Ø-la-	fo"k;	la[;k
1	सेवानिवृत्त	1372
2	मृत्यु मामले	81
3	जी.आई.पी.	101

}kjdk [ksy ifjlj

13 fof/k foHkkx

13.1 विधि विभाग के प्रमुख विधि सलाहकार हैं। विधि विभाग दि. वि. प्रा. के विभिन्न प्रशासनिक विंग द्वारा भेजे गए विधि विषयक मामलों में कानूनी राय देता है और विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, विधि विभाग विभिन्न विंग में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि. वि. प्रा. के विरूद्ध और इसके द्वारा दायर न्यायालयी मामलों की निगरानी करता है। विभिन्न न्यायालयों में दि.वि.प्रा. का पक्ष स्पष्ट करके भी यह दि.वि.प्रा. के विभिन्न विंग की सहायता करता है और इसके लिए भारत सरकार के विधि अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता है।

13.2 वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय मामलों का विवरण निम्नलिखित है :–

Ø- l-	fo"k;	01-04-2015 ls 31-03-2016 rd	01-04-2016 ls 31-03-2017 rd
1.	वर्ष के आरंभ में कुल लंबित मामले	17339	18798
2.	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए मामले	4288	3493
3.	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	2829	2777
4.	दि.वि.प्रा. के पक्ष में निर्णीत मामले	1612	1430
5.	वर्ष की समाप्ति पर कुल लंबित मामले	18798	19514

}kjdk [ky ifjlj

14 lr|drk foHkkx

14-1 lr|drk foHkkx केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सेवा में भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

14-2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करता है और उनकी छानबीन करता है और गहन जांच भी करता है और जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेकर आरोप पत्र (चार्जशीट) तैयार करता है। सतर्कता विभाग जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और अनुशासनात्मक प्रधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपीलों, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है। निष्कर्षतः सतर्कता विभाग शिकायतों इत्यादि की जांच के दौरान तथ्यों के आधार पर व्यवसाय में सुधार की सलाह देता है। इससे निवारक सतर्कता में सहायता मिलती है।

वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान सामान्य शिकायतों, सीवीसी मामलों एवं अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैः–

1- lkekU; f'kdk;rs

अवधि	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें
2014-2015	417	673
2015-2016	38	288
2016-2017	12	363

2- tkp gr| lh-oh-lh- dh yfcr f'kdk;rk dk fooj.k

o"k d vr e	yfcr f'kdk;rk dh l[;k
2014-2015	48
2015-2016	33
2016-2017	14

3- vkjHk dh xbl vu|'kklukRed dk;okfg;k

vof/k	tkjh fd, x, vkjki i=k dh l-	Hkkjh nM	ekeyh nM
2014-2015	50	32	18
2015-2016	41	26	15
2016-2017	23	22	01

4- fuiVk, x, vu|'kklukRed ekey

vof/k	fuiVk, x, vkjki i=k dh l-	yxk;k x;k nM		nk"k eDr fd, x,
		Hkkjh nM	ekeyh nM	
2014-2015	75	46	16	13
2015-2016	83	65	09	09
2016-2017	27	13	06	08

5- vkjHk fd, x, i|.kkyhxr l|/kkj ,o fuokjd lrdrk mik;%&

d- सतर्कता विभाग ने दि.वि.प्रा. के सेवा वितरण प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ाने और सतक्रता निवारक को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया है।

1. एफ.आई.एफ.ओ. (पहले आओ पहले जाओ) प्रणाली की आकस्मिक जांच और औचक क्षेत्र निरीक्षण :
2. ई–निविदा
3. ई–भुगतान
4. समारोह स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग।
5. शिकायत मामलों में स्थल निरीक्षणों के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।

[k- vfr lonu'khy ink dh igpku %

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, शहरी विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार सतक्रता विभाग ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट/सुझावों को प्राप्त करने के बाद सूक्ष्म स्तर पर अतिसंवेदनशील पदों की पहचान की है। इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

x- ijke'kZnkrk dh fu;qfDr d fy, uhfr

दि.वि.प्रा. विभिन्न कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त करता है। सतर्कता विभाग द्वारा पहल किए जाने के साथ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सरल व कारगर नीति शुरू की गई है।

14-3 mik/;{k] fn-fo-ik- d lkFk cBd %

20.01.2017 को उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के तत्वाधान में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सतर्कता कार्य किया गया और उपाय प्रस्तावित

किए गए और निवारक सतर्कता उपायों के समक्ष विभाग में प्रणालीगत सुधार के लिए प्रस्तावित और क्रियान्वित किए गए उपायों से अवगत कराया गया और शिकायतों के विलंब और निपटान के संबंध मं सांख्यिकीय आंकड़ों का अनुमान लगाया है। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा प्रोत्साहित किए गए संबंधित विभागों के सभी विभागाध्यक्षों ने सतर्कता मामलों का समयबद्ध तरीके से उनके शीघ्र निपटान के लिए उनकी आवश्यकता की प्रतिक्रिया हेतु बैठक में भाग लिया।

14-4 lrdZrk tkx:drk lIrkg %

सी.वी.सी. के निर्देशों के अनुपालन में दि.वि.प्रा. और पूरी दिल्ली में स्थित इसके विभिन्न कार्यालयों ने 31.10.2016 से 05.11.2016 तक "भ्रष्टाचार उन्मूलन और सत्यनिष्ठा बढ़ाने में जन भागीदारी" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

सतर्कता सप्ताह के पहले दिन अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा सभी दि.वि.प्रा. अधिकारियों और स्टाफ को प्रतिज्ञा दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह दि.वि.प्रा. कर्मचारियों को जन सेवा में सत्यनिष्ठा का महत्व और उसके साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मनाया गया। सतर्कता सप्ताह के दौरान नागरिकों/संगठनों/दि.वि.प्रा./नागरिक सुविधा केंद्रों में आने वाले आगन्तुकों को उनके कार्य के लिए 4500 प्रतिज्ञा दिलाई गई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के लक्ष्य का प्रचार दि.वि.प्रा. की वेबसाइट और बैनरों/पोस्टरों/स्टिकरों/पैम्फलेटों के द्वारा किया गया। कर्मचारियों और जनता के विचार भी निबंध प्रतियोगिता/पोस्टर बनाना/नारा लेखन/वाद–विवाद द्वारा प्राप्त किए गए। प्रतिभागियों की प्रस्तुति पर अनुभवी जजों के पैनल ने निर्णय लिया और विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरित किए गए। डॉ. टी.एम. भसीन, सतर्कता आयुक्त, सी.पी.सी. की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 04.11.2016 को सतर्कता जागरुकता सप्ताह का भव्य समापन समारोह कार्यक्रम हुआ।

विकास सदन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

15 utkjr 'kk[kk

15- utkjr 'kk[kk

वर्ष 2016–17 के दौरान नजारत शाखा के क्रियाकलाप और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1. वर्दी की खरीद
2. स्टेशनरी की खरीद
3. कारट्रिज की खरीद
4. फोटोकॉपियर कागज की खरीद
5. क्रॉकरी मदों की खरीद
6. फर्नीचर की खरीद
7. फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर मशीन की खरीद
8. रबड़ की मुहर और नाम पट्टिका तैयार करना।

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन को देखना है। यह शाखा विभिन्न मदों जैसे स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कम्प्यूटर पेपर, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, क्रॉकरी, कैलकुलेटर, इंक कार्ट्रिज आदि प्राप्त करना और इन्हें जारी करना है।

15-1 vkjVhvkbZ foHkkx

01.04.2016 से 31.03.2017 तक दि.वि.प्रा. ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 8718 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 8635 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, 83 ऐसे आवेदन जो दस्तावेजों की मांग, आवेदक द्वारा भुगतान अथवा आवेदकों से स्पष्टीकरण की अपेक्षा के कारण 30 दिनों से अधिक होने के कारण अभी तक निपटाए नहीं गए। दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों के लिए 198 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सी.पी.आई.ओ.) को नियुक्त किया है।

15-2 LVkQ DokVZj vkcaVu 'kk[kk

वर्ष 2016–17 के दौरान 62 स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में परिवर्तन किया गया और 399 नए स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए।

LVkQ DokVZj dh Js.kh	vkcafVr fd, x, ¶yV	ifjorZu
Vkbi-1	16	10
Vkbi-2	164	19
Vkbi-3	167	29
Vkbi-4	24	00
Vkbi-5 vkSj mlls Åij	28	04
dqy	399	62

15-3 jktHkk"kk vuqHkkx

राजभाषा अनुभाग द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावशाली बनाने के लिए दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यन्वयन समिति की 04 बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 5 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 5 अधिकारियों और 116 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

सितम्बर, 2016 में "हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास" मनाया गया जिसमें हिंदी वाद–विवाद, हिंदी नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिंदी सुलेख (केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए), हिंदी श्रुतलेख (केवल सहायक, सहायक लेखा अधिकारी व सहायक निदेशकों और समान स्तर तथा उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए) और हिंदी निबंध तथा हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 205 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में दिए गए पुरस्कारों की कुल राशि 1,10,600/– रूपये है। हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास के दौरान एक हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्य अभियंता (विद्युत) कार्यालय और मुख्य अभियंता (दक्षिणी जोन) कार्यालय का क्रमशः 07.06.2016 और 27.10.2016 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणें के लिए हिन्दी विभाग ने प्रश्नावली भरने, अनुवाद और टाइपिंग कार्य करने के लिए सहायता प्रदान की।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दि.वि.प्रा. मुख्यालय, विकास सदन, आई.एन.ए. का 06.01.2017 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया और संसदीय समिति ने राजभाषा अनुभाग के कार्य की प्रशंसा की। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने इस निरीक्षण के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले हिंदी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशंसा की और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में पी.ए.सी. पैरा, सी.ए.जी. रिपोर्ट, स्थायी समिति की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2015–16, दि.वि.प्रा. की लेखा परीक्षा, रिपोर्ट, 'विकास वार्ता' पत्रिका के लेखों, प्रशिक्षण विभाग की प्रशिक्षण पुस्तिका, स्थायी समिति और संसदीय परामर्श समिति इन सभी के लगभग 1243 पृष्ठों का अनुवाद किया गया। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट के लगभग 700 पृष्ठों का अनुवाद भी किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले फार्मों, मानक–पत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं विज्ञापनों, आदेशों, परिपत्रों और विभिन्न विभागों के संस्थापना आदेशों का अनुवाद भी किया गया।

15-4 tu lEid foHkkx

दि.वि.प्रा. का जन सम्पर्क विभाग भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलाप करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य करता है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं आदि त्रैमासिक विभागीय पत्रिका का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों, प्रेस संबंधी, दौरे आदि की भी व्यवस्था करता है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रत्युत्तर जारी करना जैसे कुछ अन्य कार्य इस विभाग को सौंपे गए हैं।

01-04-2016 l 31-03-2017 rd dh vof/k d nkjku dh xb xfrfof/k;k

1. 21 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में) जारी की गई, जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों और आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ श्रव्य–दृश्य मीडिया में भी कवर किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित दि.वि.प्रा. का रिपोर्ट वर्जन संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त करने के बाद समाचार पत्रों को दिया गया।
2. दूरदर्शन पर "डेटलाइन–दिल्ली" के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक दृश्य–श्रव्य कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े में दिखाया जा रहा है। 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान इनपुट तैयार किया गया और 15 कड़ियों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया।
3. 79 विज्ञापनों को (अंग्रेजी और हिंदी) विभिन्न सामचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।
4. विभिन्न समाचार पत्रों में छपी 4 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
5. विकास सदन स्वागत–कक्ष में कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण काउंटरों के द्वारा 67551 पत्र प्राप्त हुए और 65612 पत्र प्रेषित किए गए।
6. विकास सदन स्थित पुस्तकालय के लिए 519 नई पुस्तकें खरीदी गई। दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 2176 कतरनें काटी गईं और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी अथवा प्रतिक्रिया यदि कोई हो के लिए परिचालित की गई।
7. वर्ष 2015–16 की प्रशासनिक रिपोर्ट को संकलित करने, डिजाइन करने और मुद्रण का कार्य भी किया गया।
8. दिल्ली विकास वार्ता के चार संकलनों का सम्पादन, मुद्रण और वितरण किया गया।
9. फोटो अनुभाग ने 82 समारोहों को कवर किया। 6156 फोटोग्राफ लिए गए और 2572 फोटोग्राफ डेवलप किए गए तथा प्रकाशन और रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
10. संदर्भाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2017–18 के लिए संविदा विज्ञापन दरों को विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रकाशनों के साथ बातचीत करके तय किया गया था। और वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित संविदा दरों से ऊपर की दरों में वृद्धि को कोई अनुमति नहीं दी गई।

15-5 tu f'kdk;r fuokj.k i.kkyh

वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए ऑफ लाइन मामलों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

dfcuV lfpoky; l lnHk ¼Mhihth½

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त	32
2.	वर्ष के दौरान उत्तर दिए गए	21
3.	31.03.2017 को लंबित	11

'kgjh fodkl e=ky; l ikIr tu f'kdk;r

1.	31.03.2016 तक लंबित बी/एफ	880
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	506
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	338
4.	31.03.2017 को लंबित	1048

'kgjh fodkl e=ky; l ikIr ohvkbih@,eih lnHk

1.	31.03.2016 को लंबित बी/एफ	69
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	24
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	14
4.	31.03.2017 को लंबित	79

mik/;{k lnHk

1.	31.03.2016 को लंबित बी/एफ	36
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	45
3.	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	16
4.	31.03.2017 को लंबित	65

tu f'kdk;r ¼ihth½ foHkkx

1	31.03.2016 को लंबित बी/एफ	36
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	54
3	वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई	16
4	31.03.2017 को लंबित	74

16 dkfV vk’oklu d{k

16-1 ‘‘ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए’’ को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता को मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न अनुभागों में ही सुनिश्चित नहीं किया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में भी सुनिश्चित किया जाता है।

16-2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष के स्तर पर उन कार्यों की समय–’समय पर निरीक्षण करके भी जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा शर्तें, विनिर्देशों और ड्राइंगों का अनुपालन सख्ती से किया जाता है।

16-3 कोटि आश्वासन कक्ष का गठन वर्ष 1982 में किया गया था, जिसमें 9 कनिष्ठ अभियंता, 10 सहायक अतिभयंता (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंता (6 सिविल और 1 विद्युत), एक उप निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। कोटि आश्वासन कक्ष के प्रमुख मुख्य अभियंता होते हैं। कोटि आश्वासन की यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि ही नहीं देखती है, बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रेक्ट डॉक्युमेंट्स, विनिर्दिष्टियों आदि की कोटि का भी निरीक्षण करती है और समय–समय पर दिशा–निर्देश, परिपत्र आदि जारी करती है। तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसियों द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा परिपत्र संख्या 213 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोटि आश्वासन कक्ष टी.पी.क्यू.ए. की निरीक्षण रिपोर्टों की निगरानी भी करें।

बड़े कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली आरंभ की गई है और सी.आर.आर.आई., ए.सी.सी.बी.एम, आई.आई.टी., आर.आई.टी.ई.एस., श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि एजेंसियां परामर्श दाताओं के रूप में अनुबंधित की गई हैं। कार्यों को करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के कुल सैम्पलों के 10 प्रतिशत को लेकर कोटि आश्वासन कक्ष स्वयं तृतीय पक्ष के साथ आवश्यक जांच करते हैं ताकि सामग्री की कोटि सुनिश्चित की जा सके।

16-4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा मुख्य परियोजनाओं की जांच कम से कम दो स्तरों अर्थात फाउन्डेशन स्तर और सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर तथा तीसरी बार अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से अथवा कोई शिकायत मिलने पर की जाती है। कार्य पद्धति के पहलू, सामग्री के पहलू और कारीगरी के पहलू के तहत रिकॉर्ड्स का रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसकी कोटि लेखा परीक्षा के दौरान विधिवत जांच की जाती है यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई और नैदानिक उपायों हेतु अविलंब संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है और टिप्पणियों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कोटि आश्वासन कक्ष को कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दि.वि.प्रा. की प्रमुख परियोजनाओं में विविध फैक्ट्रियों में निर्मित सामग्रियों का निरीक्षण करने एवं सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी के स्तरों की समुचित रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

16-5 अपनाई गई विनिर्दिष्टयों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है। नई निर्माण सामग्री के उपयोग, नई तकनीकों जैसे आवासीय परियोजनाओं में प्रीफैब तकनीक, मिश्रित डिजाइन के प्रयोग/आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने को बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं सौन्दर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से निगरानी की जाती है।

16-6 दि.वि.प्रा. सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने में लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत की जाती है, ताकि गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध सुझाव सामने आ सकें। उनकी दक्षता में सुधार हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन कक्ष के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को नियमित रूप से भेजा जाता है।

16-7 लंबे समय से लंबित कोटि आश्वासन के पैरा का निपटान करने और 31.03.2015 तक के मामलों को समाप्त करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा एक अभियान चलाया गया। जिन पैरा में कोई वित्तीय अड़चन नहीं थी, उनका निपटान किया गया और काफी मामलों को बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप, काफी संख्या में मामले अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। प्रक्रियात्मक पैरा को निपटाने के लिए जोनल मुख्य अभियंताओं को क्षेत्राधिकार सौंपने के प्रयास किए गए। कोटि आश्वासन कक्ष ने केवल उन्हीं पैरा को रखा, जिनमें वित्तीय अड़चन थी अथीवा जिनमें विशेष महत्वपूर्ण तकनीकी मामला शामिल था। कोटि आश्वासन कक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं तथा निरीक्षण के दौरान अभियंताओं के बीच बातचीत में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई है।

16-8 जब कभी भी उपाध्यक्ष, अभियंता सदस्य और सतक्रता कक्ष के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से जांच कराई जाती है और यदि कोई सतर्कता संबंधी बात शामिल होती है, तो सतर्कता कक्ष द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है।

16-9 कार्यां के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष के एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स में साधनों से सज्जित एक जांच लैब को दो सहायक अभियंताओं और दो कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा संचालित किया जाता है। इस लैब में विभिन्न सामग्रियों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल की दैनिक रूप से जांच कराई जाती है। निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर इस लैब में जाँच कराई जाती है। कुल मिलाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध मं संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं अन्य लैबों में कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है। जैसे श्री राम टेस्ट हाउस, एन.टी.एच. दिल्ली टेस्ट हाउस, अनेक निजी जांच प्रयोगशालाएं आदि भी सामग्रियों की जांच के लिए दि.वि.प्रा. के पैनल में है।

16-10 दि.वि.प्रा. के कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त किया है। कोटि आश्वासन कक्ष आई.एस.ओ., 9001:2008 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंध, सर्विस रियलाइजेंशन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देता है पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा किए जाने के बाद ही दि.वि.प्रा. कोटि आश्वासन कक्ष को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त हुआ और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) दि.वि.प्रा. द्वारा अंगीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संतुष्ट था। भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2007 में दि.वि.प्रा. को आई.एस./आई.एस.ओ., 9001:2000 के "कोटि प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सीआरओ/क्यूएससी/एल–8002720" प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष बाद इसका नवीकरण किया गया और यह पिछली बार 16.8.2016 को नवीकरण किया गया जो दिनांक 14.09.2018 तक वैध है।

16-11 कोटि आश्वासन कक्ष और प्रणाली शाखा द्वारा किए गए कार्य और विभिन्न एजेंसियों को किए गए भुगतान के ई–मापन के लिए कार्यालय में एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया था। यह ऐप 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए दिनांक 01.11.2015 को शुरू किया गया था और तत्पश्चात् सभी वास्तविक कार्यों, रखरखाव कार्यों और छिटपुट व्ययों के सभी भुगतान इस मोबाइल ऐप के द्वारा किए जाते हैं।

16-12 पिछले दो वर्षों के लिए उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2016–17 के दौरान उपलब्धियों तथा वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य निम्न तालिका में दिए गए हैं:–

Ø-l-	fooj.k	2014-15	2015-16	2016-17		2017&18 dk y{;
				¼y{;½	¼miyfC/k;k¡½	
1	निरीक्षण	161	132	199	168	180
2	तकनीकी लेखा परीक्षा	3	2	5	1	07
3	सी.टी.ई. टाइप निरीक्षण	1	-	5	1	07
4	सामग्रियों के नमूने	548	492	250	623	370
5	फाइलें बंद करना	122	97	104	89	108
6	शिकायतों की जांच	66	57	जैसे और जब प्राप्त	21	जैसे और जब प्राप्त
7	क्यू.ए.लैब में सामग्रियों की जांच i) निरीक्षण के दौरान क्यू.ए.सी. द्वारा इकट्ठे किए गए सैंपल	151	77	120	137	180
	ii) जोनों से फील्ड स्टाफ द्वारा लाए गए सैम्पल	6918	6234	9200	6180	9300
8	औचक निरीक्षण	2	7	7	2	7

दि.वि.प्रा. विकास मीनार, आई.टी.ओ.

वसंत कुंज स्थित वसंत वाटिका का दृश्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली—110023

www.dda.org.in

Interads/17